Some Hon. Members: No, no.

Shri Nambiar (Mayuram): We are taking up non-official business now?

Mr. Deputy-Speaker: Yes. It is Friday. Hon. Members are forgetting it is Friday.

Shri Nambiar: Yes, Sir. We are waiting for the Dowry Restraint Bill.

Some Hon. Members: No sitting in the afternoon.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Sometimes we reduce our age and become fidgety.

DOWRY RESTRAINT BILL—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up Private Members' Legislative Business. Further consideration of the following motion moved by Shrimati Uma Nehru on the 28th August, 1953:

> "That the Bill to restrain the custom of taking or giving of dowry in marriages, be taken into consideration."

Shrimati Uma Nehru may continue her speech.

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम) : पेश्तर इसके कि मैं दहेज का जिक्र करूं मैं चाहती हूं कि मैं हाउस के हानरेबिल मेम्बर्स को बता दूं कि मैं स्त्रीधन व मेहर के खिलाफ नहीं हूं। आप जितना चाहें अपनी बेटियों को दे सकते हैं। मैं तो केवल उस तकलीफदेह प्रथा के विरुद्ध हूं जो शादी के पहले लड़के वाले अपने बेटों का मोलतोल मारकेट रेट में करते हैं। जितने अमीर और ऊंचे दरजे की मुलाजिमत पर उनके बेटे होते हैं उतनी ही उनकी कीमत समाज में बढ़ जाती है। ऐसे कंट्रेक्टस शादी के पहले होते हैं और यह भी देखा है कि शादी पर इतना धन दो और बाद में इतना दो इसके तकाजे भी रात दिन होते रहते हैं। ये हजारों रुपये जो लड़के वाले लेते हैं वह लड़की को नहीं मिलते ह। गर्जेकि हम खुल्लमखुल्ला लड़की के वर को खरीदते हैं और खरीदने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता। मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार इस दुःखदायी प्रथा को दूर करे और जो इस तरह से रुपया ले वह गुनहगार समझा जावे और सख्त सजा का मुजरिम होवे। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार समाज की इस कुरीति को समझती है और इस बिल को बखूशी मंजूर करेगी।

हम से कहा जाता है कि भारतीय समाज में स्त्री की बहुत इज्जत होती है और हमें समाज पूजणीय, माता, देवियों व गृहलक्ष्मी के नाम से पुकारता भी है। तो क्या वजह है कि जब हम पूजनीय हैं हमारी यह दुःखभरी दशा हो ? कहीं मातायें या देवियां या गृह लक्ष्मियां बेची भी जाती हैं ? जब तक समाज में परिवर्तन न होगा और स्त्री और पुरुष दोनों एक समान इन्सान न समझे जावेंगे समाज जिन्दा नहीं रह सकता है। समाज की यह दशा देखकर के हमने बहुत परिश्रम के बाद हिन्दू कोड बिल को इस संसद के सामने रखा था। ताकि स्त्री के दुःख भरे बन्धनों को तोड़ दें और स्त्री को समाज में फिर से आजाद व पूजनीय बनावें। हमारे लिए समाज में जहेज के नाम की प्रथा बहुत दुःखदायी है। इस प्रथा के कारण न मालूम कितनी हमारी प्यारी बेटियों ने खुदकशी की है खासतौर से हमारी बंगाल की बेटियों ने।

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

अफसोस तो यह है कि जब से हम जन्म लेती हैं हम अपने माता पिता के लिए वबाले जान हो जाती हैं। हमारी शादी क्या होती है हमारे माता पिता की बरबादी

[श्रीमती उमा नेहरू]

होती है। अगर हम किसी अच्छे धनी घर में ब्याही जावें तो हमारे माता पिता को क़र्ज़ ले कर लड़के के माता पिता को धन से भरना पड़ता है। जितना ज्यादा लड़का पढ़ा लिखा हो, या आई० सी० ऐस० या आई० पी० की नौकरी में हो तो उसकी क़ीमत हज़ारों की हो जाती है। बेचारे ग़रीब या साधारण हैसियत वाले, चाहे उन की लड़की कितनी भी क़ाबिल व सुन्दर हो, उस रईस के घर की तरफ़ या उस आई० सी० ऐस० या आई० पी० की सरविस वालों की तरफ़ ख्याल भी नहीं करते, क्योंकि वह इतने दौलतमन्दों को कहां से खरीद सकते हैं। वह बेचारे कहां से धन लावें। आई० सी० ऐस० लड़कों को तो समझो कि सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं, जिन की क़ीमत हज़ारों की हो जाती है। धन के साथ साथ मोटर भी मांगी जाती है। कहीं कहीं तो आई० सी० एस० होने का पूरा खर्चा मांगा जाता है। ग़रज़ यह कि बेचारे लड़की वाले परेशान ही रहते हैं। हमारे सामने ऐसी भी मिसालें हैं, जहां लड़की वालों ने पूरा आई० सी० एस० तालीम का खर्चा दिया और उस का फल यह मिला कि दामाद साहब ने सब कुछ ले लिवा कर फिर से अपनी पसन्द की शादी रचाई। अक्सर यह भी देखा कि जितना भी लड़कियों को दो, उन के सुसराल वालों की डिमांड कभी पूरी हो ही नहीं सकती है।

सब से ज्यादा तकलीफदेह बात तो हमें यह मालूम होती है जब कि हम लड़कियों का कन्यादान करते हैं। यह दान देख कर बहुत दुःख होता है। इस दान में स्त्री का पतन दिखाई देता है। गोदान से भी गिरा हुआ यह दान है। इस दान के बाद हमें प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गोदान के बाद हमें प्रायश्चित की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम से कहा जाता है कि कन्यादान सब दानों से उत्तम दान होता है, और चूंकि हम इन्सान को कन्यादान करते हैं, हमें अपने इस पाप का प्रायश्चित करना ज़रूरी होता है।

यह समाज की जितनी तकलीफदे रीतियां हैं, सब मिट जातीं, अगर हमने हिन्दू कोड बिल पर ज़रा भी विचार किया होता, और स्त्री को समाज में फिर से पूज्यनीय की पदवी पर लाते। तभी हमें हक़ था कि उस पूज्यनीय माता या गृहपत्नी के नाम से हम उसे पुकारते। आज स्त्री की दशा यह है कि वह माता या देवी भले ही हो समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं। माता होने के साथ साथ उसे अपने पति की जायदाद पर कोई भी हक़ नहीं है। अपने बच्चों का वह अपने त्याग और प्यार से पालन पोषण करती है, अपने खून से उन्हें सींचती है, जिम्मेदारी सारी बच्चों की वह लेती है। लेकिन अफसोस तो यह है कि इस सब जिम्मेदारी लेने के बाद आज वही बच्चे उलट कर क़ानून बनाने के लिये बैठ गये हैं, जहां इस पूज्यनीय माता को हर जिम्मेदारी से वह बच्चे महरूम रखते हैं।

11 A.M.

आखिर में मुझे यह कहना है, मैं यह कह देना मुनासिब समझती हूं कि मुझे सरकार में पूरा भरोसा है कि वह इस बिल को मंजूर करेगी और सरक्युलेशन के लिये ख्याल नहीं करेगी। सरक्यूलेशन के माने होते हैं, बात को टालना। इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को मंजूर न हो। अगर इस बिल में कोई भी क़ानूनी ग़लतियां या कमियां हों, तो वह यहीं पर सही की जा सकती हैं।

आज दो तीन साल के बाद हमें यह दिन नसीब हुआ है और हाउस के लिये, देश के लिये और समाज के लिये यह मुबारिक दिन है। आशा है कि हाउस इस बिल को दुआ व आशीर्वाद दे कर मंजूर करेगा।

अन्त में मुझे यह भी कहना है कि मैं चाहती यह हूं कि आज इस बिल के ऊपर मेरी जितनी भी यहां बहनें हैं, और विशेषकर मेरे भाई हैं, उन को सब को समय मिलना चाहिये। यह बिल कोई राष्ट्रीय बिल नहीं है, यह बिल सामाजिक है। हर एक का हृदय इस वक्त दुःख से भरा हुआ है, चाहे वह पिता हो, चाहे वह माता हो। तो मैं चाहती हूं कि वे सब अच्छी तरह से इस बिल पर रोशनी डालें, ताकि इस बिल को हम कामयाबी से पास कर लें।

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That the Bill to restrain the custom of taking or giving of dowry in marriages, be taken into consideration."

Now, there are several amendments to this motion. Prof. Diwan Chand Sharma.

Shri M. S. Gurupadaswamy (Mysore): Sir, there is an amendment...

Prof. D. C. Sharma (Hoshiarpur): For how many minutes shall I speak, Sir?

Mr. Chairman: The hon. Member may resume his seat. Shri Gurupadaswamy is raising a point of order.

Shri M. S. Gurupadaswamy: There is an amendment by me for circulation of the Bill for eliciting public opinion.

Mr. Chairman: I do not understand what is the point of order involved. There are two amendments to the same effect. I have called the hon. Member in whose name it stands first.

Shri M. S. Gurupadaswamy: I never raised a point of order, Sir. I am just referring to my amendment.

Mr. Chairman: I know it. I have read the Order Paper. The only point of the hon. Member is that I should have called upon him and not the other gentleman in whose name it stands first. Now, Prof. Sharma.

Prof. D. C. Sharma: I beg to move:

> "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the end of February, 1954."

Sir, I thank you very much for giving me a chance to speak on this very important....

Mr. Chairman: Order, order. I find that whenever I call upon an hon. Member to speak, he starts by saying that he feels grateful to me. I feel very much embarrassed when I hear a thing like that. It is every Member's right to speak and the Chair is only to select the person. That is all. I do not show any favour whenever I call upon a Member to speak. It is my duty to select and call upon Members to speak. That is why I say that I feel embarrassed when he says that he is grateful to me. They should not be grateful to me at all. They are here to speak in their own right and the Chair only calls upon the Member who happens to catch the eye of the Chair. So I will request hon. Members not to put me in an embarrassment by saying that they feel grateful to me. (*Interruption*). I would further plead that Members who do not get an opportunity to speak should not get angry or dissatisfied for not having been called upon to speak.

Shri Bhagwat Jha (Purnea *cum* Santal Parganas): Your ruling is right, Sir. Otherwise, the Member who thanks you will carry weight and will have the chance.

Prof. D. C. Sharma: I thought, Sir, that courtesy was part of the equipment of a speaker and that was why

[Prof. D. C. Sharma]

I made that remark. Anyhow, Sir, I will proceed.

When I was a student in the Presidency College, Calcutta, and was living in the Eden Hindu Hostel, Calcutta, every week I used to have two or three shabby-looking persons coming to me with a petition in their hands and asking me for some kind of charity. Generally these petitions were written in Bengali and, therefore, I was not able to understand them. But my fellow-students explained to me that this gentleman was in need of money because he wanted to marry off his daughter. At that time I thought that this disease was peculiar to a particular State in India. But, now, Sir, I find that this disease has become rampant all over India. There is no part where you cannot find this disease of asking for dowry on the part of the parents of the bridegroom, on the part of the relations of the bridegroom. I think, Sir, this is a very deep-seated evil and the remedy which my sister, Shrimati Uma Nehru, has put forward is a very very ineffective remedy. I wonder if this remedy can cure this drastic disease; drastic diseases should have drastic remedies. We had, for instance, Sir, the Sarda Act. What was the purpose of that Act? It was that the age of consent should be raised. What has happened to the Sarda Act? It is now a dead letter and I think it is fit for research at the hands of some students of social history. I do not think it is very much operative in any part of the country very few cases are brought before the courts where the provisions of the Sarda Act are contravened. My fear is this. If we take up this Bill in this manner and say we are going to ask for the restraint of dowry, it would have the same fate. It would not prove to be that kind of remedy which is needed to root out this disease. What is this remedy?

When I look at the newspapers I find that my sisters, my daughters and my mothers have attained all kinds of equality in this world. The other day I saw a picture of a young lady, a daughter of mine, and I found that she has become an Assistant Commissioner. Here is evidence of sex equality in matters of employment. Another day I picked up a paper and saw a lady and a gentleman playing cricket. Here is an instance of equality so far as sports is concerned. Every day I find, Sir, that there are instances of sex equality all over the country.

Shri Algu Rai Shastri (Azamgarh Distt.—East *cum* Ballia Distt.—West): Even here in this House, Sir.

Prof. D. C. Sharma: I know, a lady magistrate here administers justice as well as anybody else. So, there is what you may call economic equality. There are all kinds of equality operative in India, but, in spite of that, I should say that I do not find any instance of what I may call social equality so far as the relations of man and woman are concerned. I will think that the age of social equality has come only when a man does not say that he would marry a particular girl only if he is given some kind of dowry.

I met the other day a gentleman—I do not want to give his name—and he said, 'My son is worth Rs. 50,000 to me'. I said, 'Yes; he is worth Rs. 50,000 because he has done so well at the examination and he is going to get into one of those coveted services'. He said, 'No, no, I am not talking in that way; there are a number of people who are after me and they want that I should marry off my son to some girl who will bring a dowry of so many thousand rupees.' So, what I mean to say is that while we are advancing along lines of progress on all sectors of life, so far as social equality is concerned, women—my sisters here will excuse me for saying so—are at a great disadvantage. They do not have the same kind of equality which they ought

to have so far as marriage is concerned. If they had, no father would have the cheek to say, 'I can marry off my son to your daughter only if you give this much of dowry' What I mean to say is that in India we have still that inequality. This inequality is to be found in our marriage relationship. As long as marriage relationship is not on an equalitarian basis, on a basis of reciprocity, I think the talk of social revolution, silent revolution, bloodless revolution, loses some of its value. We want a kind of social revolution in India where our daughters can stand on their own legs and where they can say to young men who want some dowry, 'well this is not the right thing to do'. I say the only remedy for this is that we should advocate adult marriages.

I am a student of literature, Sir, and today I want to refer to Sanskrit literature, to sanskrit drama, the dramas of Kalidas and the dramas of Bhavabhuti, those great writers of India. What do you find there? Even though India was not at that time very great, I find that in those days....

Shri Algu Rai Shastri: It was greater than today.

Prof. D. C. Sharma: I said very great. Other hon. Members do not understand very great; what can I do? India was not at that time very great, but still I see, Sir....

Shri Algu Rai Shastri: It was very very great, Sir.

Prof. D. C. Sharma: Sir, we find that those dramas give such fine and noble portraits of our womanhood. What is the secret of that? The secret of that was that marriage then was not of the kind that we have now, the negotiated type of marriage between the relations of the boy and the relations of the girl. This kind of negotiated marriage was at a discount. Therefore, if we want to bring about some kind of social revolution, we should put an end to all the evils that are inherent is this system of negotiated marriages which prevail especially with such intensity in some of our far eastern countries. At the same time, if people could be made moral by legislation, I think, we Indians and perhaps the inhabitants of other countries would have become angels by this time. Look at the number of laws that we are passing in every country in the world today. Look at the amount of legislation which piling up. I might add, Sir, that no country could ever become moral by mere Acts of Legislature. I do not decry legislation, but I can assure you, Sir, that legislation is a very ineffective method. I say that this kind of legislation should be preceded by education and also followed by education. Education should come first and legislation should come afterwards; or, if legislation should come first, education should follow it. I think the two should go together. Therefore, Sir, I say that the Bill should be circulated for public opinion.

It is there, I think, that we have to create the right kind of climate, the right kind of atmosphere, the right kind of surroundings for the implementation of this Bill. I would, therefore, say that while I agree with my learned sister Mrs. Uma Nehru, who says that this Bill should be passed at once, I would request her to explore this avenue that before this Bill is passed we should stump this country with the ideas which are inherent in this Bill and after this is done it will be possible for us to pass this legislation.

Sir, my learned sister said that *Dan* is very good and there are so many kinds of *Dan*. Now I am not a person who is well versed in the Shastras and I do not want to say anything which has anything to do with the Shastras because I may get into trouble on account of that; we should not think in terms of *Dan* which comes to our daughters.

श्रीमती उमा नेहरु : मैं आप को समझा दूं। मैं ने यह नहीं कहा। मैं ने

[श्रीमती उमा नेहरू]

यह कहा था कि दानों में जो दान समाज में सब से उत्तम माना जाता है वह कन्या दान होता है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : यह सही बात है ।

श्रीमती उमा नेहरू: यह इतना उत्तम दान है कि अगर अपनी लड़की नहीं होती है तो हम किसी और की लड़की का दान करते हों, क्योंकि हम को कन्या दान करना जरूरी है । लेकिन इतना उत्तम दान होते हुए भी इस दान के बाद भी हमें प्रायश्चित करना पड़ता है क्योंकि इन्सान का दान नहीं होता है । गायों का जो लोग दान करते हैं उन को बाद में प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो कन्या दान करता है उस को तो प्रायश्चित करना ही पड़ता है । मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब भी कोई ऐसी बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि लिखा कहां है । लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने शादियां की होंगी और वह जानते होंगे कि हमें प्रायश्चित करना पड़ता है कन्या दान देने के बाद ।

Prof. D. C. Sharma: I am glad to have this explanation from my learned sister. What I mean to say is that our laws should be so changed that what we give to our daughters should not be given as a matter of gift. It should be given to them as their own right. They should have as much right of inheritance to the property of the parents as the sons have.

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): Ask for Hindu Code Bill.

Prof. D. C. Sharma: I think there are certain religions and certain countries where this is done in that way. I, therefore, think that the idea of *dan* which was very good at one time is not being rightly understood today and is not being rightly practised today. I would, therefore suggest that we should so change our society that our daughters have as much share in our property as the sons have. We have removed so many disabilities under which our sisters have been living. We have taken away some of their economic and other disabilities. This social disability must also be removed. This disability may only be removed when our sisters and daughters think that they are not to be given away in that sense.

Mr. Chairman: Amendment moved:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the end of February, 1954."

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य): मैं अपना संशोधन इस प्रकार उपस्थित करता हूं ;

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Shrimati Uma Nehru, Shrimati Jayashri Raiji, Shrimati Renu Chakravartty, Shrimati Sushama Sen, Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Raghunath Singh, Shri Hari Vishnu Pataskar, Prof. D. C. Sharma, Shri N. Somana, Shri Debeswar Sarmah, Shri Ramraj Jajware, Shri Jhulan Sinha, Pandit Lingaraj Mishra, Shri K. S. Raghavachari, Shrimati Anasuyabai Kale, Shri Raghubir Sahai, Shri Radha Raman, Dr. Mono Mohon Das, Dr. Syed Mahmud, Shri Upendranath Barman, Shri Amjad Ali, Shri Fulsinhji B. Dabhi, Shrimati Ammu Swaminadhan, and the Mover, with instructions to report by the end of the first week of the next session."

Shri R. K. Chaudhury (Gauhati): May I ask the hon. Member to include Shri B. Das who is the father of the House? He may be able to give better opinion and he is agreeable. You don't accept?

श्री एस० एन० दास : I will consider it in the end.

श्रीमती उमा नेहरु ने इस संसद् के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधार का विधेयक पेश किया है। मैं इस के लिये उन्हें बधाई देता हूं।

जो प्रस्ताव अभी संसद् के सामने पेश है उस के महत्व के सम्बन्ध में मेरा अपना ख्याल है कि किसी सदस्य को मतभेद नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान में ही नहीं, दूसरे मुल्कों में जहां भी वैवाहिक सम्बन्ध का नियम है, इतिहास से पता चलता है कि विवाह के बाद अपनी कन्याओं को उपहार देना और इस प्रकार का प्रबन्ध कर देना कि जिस से विवाह के बाद फौरन कन्या अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करे, यह प्रथा प्रचलित थी। वर पक्ष के लोग भी और कन्या पक्ष के लोग भी दम्पति को इस तरह की सहायता दिया करते थे। हमारे यहां जैसा कि मेरा अन्दाज है, जब गुरुकुल से अपना विद्याध्ययन समाप्त करके कोई पुरुष समाज में प्रवेश करना चाहता था, जीवन संग्राम में आना चाहता था, उस समय उस के पास किसी भी प्रकार की पूंजी, किसी भी प्रकार के परिवार को चलाने के सामान का अभाव हुआ करता था, और ब्रह्मचर्यवस्था समाप्त करने के बाद जब वह सामाजिक जीवन में प्रवेश करता था तब उस के लिये आवश्यकता होती थी कि उस को एक समाज के परिवार के लिये, एक गृहस्थ की व्यवस्था के वास्ते, जितनी चीजों की आवश्यकता हो वे चीजें उस को दी जायें। मेरा यह भी ख्याल है कि प्राचीन काल में पैतृक सम्पत्ति में कोई खास अधिकार कन्याओं को नहीं होता था कानून के जरिये से। इसी लिये माता और पिता का कर्त्तव्य होता था कि जब वह अपनी कन्या का किसी वर के साथ विवाह करें और तब और कन्या जीवन में प्रवेश करें उस समय उन के पास ऐसी पूंजी हो जिस को ले कर वह अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकें इस लिये वह कन्या को समुचित सामान, द्रव्य, रुपया और गृहस्थ के लिए जितने सामान की आवश्यकता हो वह दें। सभापति महोदय, यदि आप कन्या और वर को दिये गये सामान का निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि उस सामान में गृहस्थी की जितनी आवश्यक चीजें हैं उन का ही उस में समावेश होता है। जिस समय में कन्या को उपहार देने का विधान था विभिन्न रूप में, चाहे वह नकद हो, चाहे गहने के रूप में हो, चाहे कपड़े के रूप में हो चाहे किसी सामान के रूप में हो, उस का मतलब यह होता था कि ब्रह्मचारी वैवाहिक जीवन आरम्भ करता था उस के जीवन के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता समझी जाती थी वह चीजें उस को दी जायें।

इससे शुरुआत होती है हमारे स्त्रीधन की। मेरा ख्याल है कि जिस समय समाज में इस तरह कि व्यवस्था चली थी तो उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसमें परिवर्तन होते गये और भावना में भी परिवर्तन होते गये और आज यह मौका आया कि कन्या के लिए वर खरीदना पड़ता है। एक समय हमारे देश में ऐसा था कि कन्या को खरीदने के लिए वर को कुछ पैसा देना पड़ता था। अभी भी जहां तहां समाज में यह प्रथा है लेकिन इसको अब नीची नजर से देखा जाता है। जो कन्या को बेचते हैं या कन्या को वर को देने के लिए पैसा लेते हैं आज कोई समाज ऐसा नहीं है जिसमें ऐसे आदमियों को नीची नजर से न देखा जाता हो। यह हमारे देश की गरीबी

[श्री एस० एन० दास]

के कारण हैं कि लोग अपनी बेटी को भी बेचकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। यह किसी भी समाज के लिए कलंक की बात है कि लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी बेटियों को बेचें। यह बात किसी भी समाज के लिए कलंक की बात है। पर मैं उन लोगों को इसके लिए दोष नहीं देता क्योंकि आज समाज में यह दशा है कि जो मेहनत करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिलता और उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी कन्याओं को बेचना पड़ता है। इसका दोष तो समाज को है।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए आप सरकार को भी दोष दे सकते हैं।

श्री एस० एन० दास : समाज के माने सरकार के हैं। आज हमारे सामने सवाल यह है कि जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा बढ़ती जाती है और आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करने का खर्च बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे समाज में यह देखने में आता है कि जो ऊंची आकांक्षा रखने वाले नवयुवक हैं, और जिनके पास साधन नहीं हैं, और जो चाहते हैं कि हमको अच्छे से अच्छा पद मिले और समाज में ऊंचे से ऊंचा स्थान मिले, वह चाहते हैं कि हम अपनी शिक्षा का और अपने परिवार के उच्चत्व का लाभ उठाकर ऐसी जगह विवाह सम्बन्ध करें जहां हमको बहुत पैसा मिले और हम उस पैसे से बड़ी से बड़ी शिक्षा प्राप्त करें, इंगलैंड जायं, अमरीका जायं जिससे सरकारी नौकरी में हमारा प्रवेश जल्दी से जल्दी हो जाय। मैं समझता हूं कि हम व्यवस्थापक जो कि यहां पर बैठे हुए हैं हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे देश के पढ़े लिखे और क्रान्तिकारी नवयुवक इसकी ओर झुक रहे हैं। क्यों वह अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करते जिससे कि वह कठिन काम करके ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए इस बिल पर विचार करते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात को सोचें कि क्या कारण है कि हमारे समाज में नवयुवकों के दिल में यह प्रश्न पैदा होता है कि हम कन्या वाले से अधिक से अधिक रुपया ले कर अपनी शिक्षा और दूसरी चीजों की व्यवस्था कर सकें।

मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इसलिए कि बहुत से दूसरे सदस्य और हमारी बहनें इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहती हैं? मेरा ख्याल है कि इस बिल के सिद्धान्त से इस संसद् के किसी भी सदस्य को विरोध नहीं होगा और मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय मंत्री जी, जो कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ह, वह भी शायद इस बिल के खिलाफ न होंगे, परन्तु इस कानून को बनाने के पहले हमें विचार कर लेना चाहिए क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और उनको भी इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है, और जहां तक मेरा ख्याल है कुछ राज्यों में इसके सम्बन्ध में जहां तहां कुछ कानून बनाये भी गये हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सम्बन्ध में पूरी गहराई के साथ विचार करें और विचार करने के बाद यह देखें कि किस रूप में इसको लाया जाय कि समाज पर इसका अच्छा असर पड़े। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मैं अपने दोस्त प्रोफसर दीवान चन्द शर्मा जी से सहमत हूं कि कोई कानून बनाने मात्र से यह बुराई दूर नहीं हो सकती। इसको सफल बनाने के लिए

हमें समाज की आत्मा को जगाना पड़ेगा। आज बावजूद इस बात के कि समाज में कोई भी शिक्षित व्यक्ति इसकी प्रशंसा नहीं करता है, फिर भी यह एक आग की तरह समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल रही है। किसी लड़की के पिता से आप पूछें कि तिलक या दहेज के प्रति उसके क्या विचार हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने लड़के का विवाह करने आता है तो यह भूल जाता है और उस समय ज्यादा से ज्यादा मोल तोल करने में और ज्यादा से ज्यादा रकम लेने में नहीं हिचकिचाता।

सभापति महोदय, आपका ध्यान इस बात पर गया होगा कि हमारे देश में बहुत सी सामाजिक संस्थायें हैं जो बहुत दिनों से सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रयत्नशील हैं। जितनी जातीय संस्थायें हैं, जैसे ब्राह्मण सभा, कायस्थ सभा, भूमिहार सभा या दूसरी जातीय सभायें हैं वे सब इस बुराई को नापसन्द करती हैं। कोई भी ऐसा सामाजिक सम्मेलन नहीं होता जिसमें कि दहेज की प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पास न होता हो लेकिन यह भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस सम्मेलन के जो सभापति होते हैं वे ही उस प्रस्ताव का पूरा उल्लंघन करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बावजूद इस बात के कि इस दहेज की प्रथा का समाज में सब तरह से विरोध है और इसके खिलाफ तमाम लोगों का प्रयत्न है फिर भी वह समाज में आज दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है। और यह बुराई आज यहां तक बढ़ गयी है कि इससे ऊबकर हमारी कुछ बहनें, यह देखकर कि उनके विवाह के लिए उनके माता पिता को कितनी कठिनाईयां उठानी पड़ती हैं और कितने झंझटों में पड़ना पड़ता है, आत्महत्या कर लिया करती हैं।

सभापति महोदय, आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से अंग हैं जहां पुत्री का जन्म खुशी से नहीं मनाया जाता है। पुत्री के जन्म से लोगों को दुःख होता है।

श्री विभूती मिश्र (सारन व चम्पारन): अधिकतर दहेज वही लोग मांगते हैं जो कि कालिजों में पढ़ते हैं, आप सभाओं का नाम क्यों रखते हैं।

Mr. Chairman: The hon. Member has not been called upon to speak. He should not take advantage by standing up, and speak without being called upon to do so.

श्री एस० एन० दास: माननीय सदस्य ने शायद मेरा मतलब समझा नहीं। मेरा मतलब यह है कि जो हमारे समाज के नवयुवक हैं उनका तो उत्तरदायित्व है ही लेकिन जिस समाज और माता पिता ने उनको जन्म दिया है उनका भी कम दोष नहीं है। इस दहेज की प्रथा को लेकर हमारे देश में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो समाज के लिए शोभनीय नहीं हैं। इसलिए मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब यह प्रवर समिति के पास से वापस आवेगा तो हम इसको सहर्ष पास करेंगे।

Shri Nandlal Sharma (Sikar): Has the consent of the Member been obtained?

Mr. Chairman: The hon. Member has taken the consent of the Members of the Select Committee. If any Member has not given it, he can indicate it here.

Amendment moved:

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Shrimati Uma Nehru, Shrimati Jayashri Raiji, Shrimati Renu Chakravartty, Shrimati Sushama

[Mr. Chairman]

Sen, Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Raghunath Singh, Shri Hari Vishnu Pataskar, Prof. D. C. Sharma, Shri N. Somana, Shri Debeswar Sarmah, Shri Ramraj Jajware, Shri Jhulan Sinha, Pandit Lingaraj Mishra, Shri K. S. Raghavachari, Shrimati Anasuyabai Kale; Shri Raghubir Sahai, Shri Radha Raman, Dr. Mono Mohon Das, Dr. Syed Mahmud, Shri Upendranath Barman, Shri Amjad Ali, Shri Fulsinhji B. Dabhi, Shrimati Ammu Swaminadhan, and the Mover, with instructions to report by the end of the first week of the next session."

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल) : अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि पबलिक ओपीनियन के लिए यह बिल भेज दिया जाय और उन्होंने ऐसा बतलाया कि अभी पबलिक में इस के खिलाफ एजूकेशन काफी नहीं है। मुझे पबलिक ओपीनियन के लिये भेजने के लिए कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर यह हाउस क़ानून द्वारा तब तक तमाम शादियों को रोक दे, और इस के पहले कि मैं और बातें कहूं, सभापति महोदय, मुझ को इस हाउस से एक शिकायत करनी है। इस हाउस का आधा खर्चा हिन्दुस्तान की औरतें उठाती हैं, आधी वोटर स्त्रियां होती हैं। वोट ले कर के जब हाउस में नुमायन्दे आने होते हैं तो उन्हें औरतों के वोट लेने के लिये तो बहुत वक्त होता है, लेकिन जब यहां पर आते हैं और जब कोई ऐसे कानून की बात होती है, जिनका कि औरतों से खास ताल्लुक़ होता तो उन्हें वक्त नहीं मिलता है। चुनाव के बाद इतने सैशन्स हो चुके, लेकिन आज तक एक भी बिल इस क़िस्म का पास होने के लिये हाउस को वक्त नहीं मिला। जब कोई बिल आता है तो देर लगा कर, सिलैक्ट कमेटी, पबलिक ओपीनियन, इस तरह सब क़िस्म की बातें लगा कर इतनी देर कर दी जाती है कि वह बिल पास नहीं होता। मुझे वह दिन भी याद है जब कि इस हाउस में किसी वक्त हिन्दू कोड बिल के नाम से एक बिल पेश था। और इसी तरह लोगों ने हमारे हाउस के सदस्यों ने, उस को सिलैक्ट कमेटी और इस तरह की बातें ला कर देर लगा लगा कर ऐतराज़ किये और वह पास नहीं हो सका।

आज इस बिल की ताईद करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं तो मैं बड़ी शर्म के साथ कहती हूं कि मैं औरतों के लिये बराबर का हक़ मांगने के लिये नहीं खड़ी हुई हूं। बराबर का हक़ तो न मालूम हम कब मांगेंगी? हम तो सिर्फ़ इतना चाहती हैं कि हमारे इस हाउस के सदस्य औरतों को कम से कम इन्सान मानने को तैयार हो जायं। हमारे समाज में आज जितना अपमान शादियों में होता है, चाहे उसके लिये आप शास्त्रों को कोट करें, चाहे धार्मिक पुस्तकों को कोट करें, परन्तु जिस क़िस्म की शादियां आज हिन्दुस्तान में होती हैं, उस में दहेज और इस तरह की और रस्मों के अलावा, दहेज में जितना अपमान, जितनी बेइज्जती स्त्री की होती है इतनी कभी कोई इन्सान किसी इन्सान के साथ नहीं कर सकता। आप लड़की को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लड़की अच्छी है, गुणवान् है, पर उस की शादी नहीं हो सकती, उस के साथ दहेज चाहिये। लड़की की कोई क़द्र नहीं, उस के गुणों की क़द्र नहीं, उस की और चीजों की क़द्र नहीं। हर चीज के पीछे यह विचार होता है कि दहेज कितना है। आज मुझे मालूम है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आज ऐसा कहां है, आज तो दहेज नहीं मांगा जाता है, पढ़े लिखे लोग नहीं मांगते हैं, दुनिया तरक्की पसन्द हो गयी है। लेकिन

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि दहेज तो बराबर मांगा जाता है, आज दहेज की क़िस्म बदल गयी है। आज शादी में तरह तरह के कपड़े नहीं मांगते हैं, तरह तरह की फालतू चीजें नहीं मांगते हैं, लेकिन रेडियो मांगते हैं, मोटरें मांगते हैं, विलायत जाने के लिये खर्चा मांगते हैं और इस तरह पचीसों किस्म की चीजें मांगते हैं। अगर और कुछ नहीं चाहते हैं तो कम से कम यही चाहते हैं कि नौकरी दिलवाने में मदद करवा दी जाय। इस किस्म से अगर समाज के आधे हिस्से पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो उससे ज्यादा अन्याय कोई और नहीं हो सकता।

इस के साथ ही साथ, सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि आज अगर हम लोग इस क़िस्म की जो दहेज की प्रथा है उस को हटाते नहीं हैं, तो शादियों में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आज हमारा समाज एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है कि अब वह वक्त नहीं रहा कि जिस में स्त्री अपनी पोजीशन को समझती नहीं हो। उस में आज एक जागृति आ गयी है, कानशसनैस आ गयी है। आप ने स्त्री को शिक्षा दी है, लड़की को पढ़ाया है, हालांकि उस पढ़ाने की नीयत में मुझ को शक है। मैं इस चीज को समझती हूं कि लड़की को आज आप ने इस लिये नहीं पढ़ाया कि मुसीबत के वक्त वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके या स्त्री जाति तरक्की कर सके। आज पढ़ाने में नीयत अच्छी नहीं है। आज हम लोग पढ़ाते इसलिये हैं कि लड़का आठवीं पास लड़की चाहता है। पढ़ाते इसलिये हैं कि लड़के की डिमांड दसवीं पास की है। डिमांड बी० ए० की हो गयी है तो बी० ए० करवा देते हैं। अगर रत्न और प्रभाकर से काम चल जाता है तो उतना ही पढ़वा देते हैं। ऐसा हो गया है, जैसे मारकेट में जिस चीज के लिये डिमांड हो उस डिमांड के मुताबिक़ ही मारकेट में चीज तैयार की जाती है और इस तरह यह लड़की का मोल तोल होता है। उस के बाद जब शादी होने लगती है तो बड़ी दिक्कत आती है। दहेज उस लड़की के साथ चाहिये और लड़की जागृत हो गयी है इसलिये लड़की अपने अपमान को महसूस करती है। लड़की अच्छी जगह शादी करना चाहती है लेकिन शादी नहीं हो सकती है। मां बाप भी मजबूर हैं, शादी होने में हजार रुकावटें दहेज की वजह से हैं। आज हमारे समाज में इस का क्या असर होता है ? आज मुझे मालूम है। मैं ने शास्त्र तो पढ़े नहीं हैं, संस्कृत भी नहीं जानती हूं, पर मुझे मालूम है कि कुछ कोट किया गया और इस बिल को रोकने के लिये हजारों शास्त्र और कोट कर दिये जायेंगे। लेकिन आज जब शादी का वक्त होता है और शादी नहीं होती है तो माता पिता अपनी आंख बन्द कर लेते हैं और लड़की किसी के साथ भी भाग कर शादी कर लेती है। उस में जागृति है, वह शादी अच्छी जगह करना चाहती है। मां बाप भी करना चाहते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है तो लड़की किस्म किस्म से सजती है, क़िस्म क़िस्म के कपड़े पहनती है, मुंह रंगती है, मां बाप इस को सहन करते हैं और चाहते हैं कि लड़की अपने आप कहीं चली जाय और शादी कर ले। वह सब दहेज की वजह से मजबूर हैं। मुझे इस तरह के मां बाप से सहानुभूति है। पर यह समाज पर एक भारी कलंक है और यह समाज का इतना भारी गिरना उसी का नतीजा है।

फिर बहुत सी ऐसी जगहें भी हैं कि जहां दहेज दे दिया जाता है। फिर भी

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

दुख है । दहेज इसलिये दे दिया जाता है कि दहेज देने के बाद हमारी लड़की सुखी हो जायगी । पर मैं ने देखा कि जिस घर से जितना दहेज मिला, वह लड़की उतनी ही दुखी और परेशान रहती है, क्योंकि पैसा लेने वाले की तृष्णा कभी शान्त नहीं होती । जब लड़की दहेज ले आती है तो सुसराल वाले समझते हैं कि जितनी बार यह घर में जायगी और आवेगी उतनी ही बार ज्यादा मिलेगा । जितना वह लाती है उतनी ही ज्यादा जरूरत मालूम होने लगती है और जब वह तृष्णा किसी किस्म से पूरी नहीं हो पाती है तो लड़की दुःख पाती है

आज आप कहते हैं कि पबलिक ओपीनियन इसके हक में नहीं है । न मालूम आप पबलिक ओपीनियन किस को समझते हैं ? आज आप एक एक लड़की की हालत को देखिये, वह एक मूक आवाज है जिस को आज सदियों से जानवरों से बदतर ट्रीट किया गया है । आप कहते हैं ऐजूकेशन नहीं है, आप कहते हैं पबलिक ओपीनियन नहीं है । वह बेचारी परेशान है, बोल नहीं सकती है, जानती भी नहीं है, और जानती भी है तो उसकी आवाज नहीं है, और आवाज हो तो कैसे हो ? मुझे आज हाउस में जब यह मालूम होता है कि वह इस बिल को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं तो लगता है कि यह लड़ाई कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बल्कि लेने वालों और देने वालों में लड़ाई है । ऐसा मालूम होता है कि हमारे यहां जब हाउस में सदस्य इस बिल पर बातचीत करते हैं तो न मालूम औरत से क्या मतलब समझते हैं । पर वह औरतें तो हमारी बेटियां हैं, हम शादी करते हैं उन की, वे हमारी बहनें हैं और हम उन की शादी करते हैं । इन तमाम दिक्कतों से हम गुजरते हैं । पर मालूम होता है कि जब हमारे भाई जो मुखालफ़त करते हैं तो शायद वह समझते हैं कि हमारे यहां सारे लड़के ही लड़के पैदा होने वाले हैं । हम सदा लेने वालों में हैं । मैं चाहती हूं कि इस बात पर थोड़ी रिसर्च की जाय और जब बिल का किस्सा खत्म हो जाय तो, सभापति महोदय, बोलने वालों की लिस्ट के बारे में देखा जाय कि मुखालफ़त करने वालों की लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं और समर्थन करने वालों के लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, क्योंकि मुझे सचमुच में शक होता है कि आज सदियों के बाद हिन्दुस्तान में यह कहा जाय कि इस के लिये तो पबलिक जागृत नहीं है और दहेज के दोषों को नहीं जानते हैं, इसलिये उन को ऐंजूकेट किया जाय, उन को बतलाया जाय कि उस में क्या बुराइयां हैं, उस की बुराइयों को उन के सामने रखने का मौका दिया जाय, यह ऐसी बातें सुन कर मुझे सचमुच में नीयत पर शक होने लगता है । इसके लिये मैं माफी चाहती हूं ।

हमारे यहां यह भी कहा गया, हमारे सदस्यों ने यह भी कहा कि कानून से यह बात रुकने वाली नहीं है । मैं इस चीज को कुछ हद तक मानती हूं । मैं तो यह भी मानती हूं और जैसे यहां पर मैं ने कभी कभी कहा भी है कि यहां हाउस में रोज कई चीजें आती हैं । रोज मैं सुनती हूं कि किसानों के साथ क्या होना चाहिये, मजदूरों के साथ क्या होना चाहिये, समाज का एक्सप्लाइटेशन कैसे रुकना चाहिये । लेकिन जो औरतों का एक्सप्लाइटेशन होता है, उसकी तरफ़ किसी की तवज्जह नहीं जाती । कुछ फी सदी संख्या मजदूरों की हिन्दुस्तान में होगी, कुछ फ़ी सदी हिन्दुस्तान में किसानों

की होगी, सब कुछ कुछ फी सदी ही हैं। पर यहां औरतों की जितनी तादाद भारी है और जितना शादियों से औरतों का ऐक्सपलाईटेशन हो रहा है और उस से जितना नुक़सान सोसाइटी पर पड़ता है, इस की तरफ़ किसी का ध्यान और किसी की तवज्जह नहीं है।

इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारे समाज में और चीज़ों के अलावा दहेज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें औरत को ख़रीदना और बेचना होता है और जिस समाज में यह होता हो, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है और साथ ही मैं इस चीज़ को भी मानती हूं कि इस चीज़ के लिए अगर हम लोग किसी का मुंह ताकते रहें, कि कोई दूसरा हमारी मदद करने वाला आने वाला है, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती। मेरा तो यह विश्वास है कि हमारे देश की लड़कियां और औरतें जब तक इस कुरीति के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठायेंगी और लड़ाई नहीं करेंगी, उनको इस चीज़ के लिए समाज और देश दोनों से लड़ाई करनी पड़ेगी, साथ ही जितने ग़ैर-तरक्क़ी पसन्द लोग हैं जिनके दिल में तो कुछ और ही रहता है लेकिन जो समय २ पर धर्म ग्रन्थों और शास्त्रों को कोट करके हम स्त्री जाति को पीछे रखना चाहते हैं, समाज में औरत का ख़रीदना और बेचना जारी रखना चाहते हैं, उनके साथ भी हमें लड़ाई करनी होगी और अपनी आवाज़ उनके विरुद्ध बुलन्द करनी होगी और मैं आप से सच कहती हूं कि जैसे वह दिन दूर नहीं है जब कि सरमायादार गरीब का शोषण नहीं कर पायेंगे, जिस प्रकार यह दिन आने वाला है, उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहती हूं कि वह दिन भी दूर नहीं है और जल्द आने वाला है जब औरतों का आपको एक्सप्लायटेशन बन्द करना होगा और अगर उस वक्त आप मेरे सामने आकर यह कहें कि शास्त्रों में यह लिखा है कि तुमको बिकना ही होगा, शास्त्रों में लिखा है लड़की की शादी में पैसा देना ही होगा, तो मैं कह देना चाहती हूं . . . . .

Pandit K. C. Sharma (Meerut Distt.—South): That is already an offence, Sir, under the Constitution.

श्रीमती सुभद्रा जोशी: अगर इस क़िस्म की बात उनमें हो, उसके लिए तो सभापति महोदय, मैं ने पहले ही कह दिया कि मैं संस्कृत जानती नहीं.....

Pandit K. C. Sharma: Why is she slandering the sacred book? There is no such thing written anywhere in it.

Shrimati Sucheta Kripalani (New Delhi): That is the practice.

Mr. Chairman: Let there be no interruption.

Pandit K. C. Sharma: I am raising a point of order, Sir. Is the hon. Member entitled to slander the sacred books, in which other people believe, without knowing what is contained in them?

Mr. Chairman: There is no point of order and there is no substance in it. The hon. Member ought not to interrupt when a lady Member is speaking.

Shri R. K. Chaudhury: Does it mean that any Member of this House can slander any religious book? Is it not a point of order? I think hon. Members will be angry if, for instance, I say anything against the Bible.

Mr. Chairman: I am sorry to say that he is speaking in the same way as the previous hon. Member and this is not allowable by way of interruption.

श्रीमती सुभद्रा जोशी: सभापति महोदय, अगर मैं ने अपने कुछ सदस्यों के दिलों को चोट पहुंचायी है, तो मैं उनसे इसके लिए क्षमा चाहती हूं।

मैं साफ कह देना चाहती हूं कि जिन शास्त्रों को ये लोग मानने वाले हैं, मैं भी उन्हीं शास्त्रों को मानते हुए इतनी बड़ी हुई हूं। तो मैं यह कह रही थी कि जिस वक्त जो बुराई समाज में हम अपनी आंखों से देखते हैं और जब हम उस बुराई और एक्सप्लायटेशन को हटाना चाहते हैं, उस वक्त अगर कोई साहब हमारी धार्मिक किताबों को कोट करे, तो मुझे उनकी नीयत पर शक होने लगता है, जैसा मैंने पहले आपसे कहा, संस्कृत तो मैं जानती नहीं और शास्त्र मैं ने पढ़े नहीं हैं, पर जिस वक्त मैं यह देखती हूं कि अगर कोई धार्मिक पुस्तक का नाम ले जिसे देश के करोड़ों आदमियों ने नहीं पढ़ा है, बहुत कम लोगों ने उन को पढ़ा होगा, अगर उन पुस्तकों का नाम लेकर आप मुझ पर जुल्म करना चाहें या सोसाइटी के किसी हिस्से पर जुल्म करना चाहें, तो यकीन मानिये एक दिन ऐसा आने वाला है कि उन की इज्जत खत्म हो जायगी और वह धर्मशास्त्र ताक में धर दिये जायेंगे। मैं ने आपसे कहा कि मेरा मंशा उन पुस्तकों पर कोई रिफ्लेक्शन डालना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि जिस तरह उन पुस्तकों का नाम लेकर आप मजदूरों का गला नहीं काट सकते, आप किसानों का खून नहीं पी सकते, उसी तरह वह दिन दूर नहीं जब आप औरतों के रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकते।

कुछ भाइयों का यह कहना है कि इसके लिए क़ानून पास करना जरूरी नहीं है, तो मैं उन भाई से कहना चाहती हूं कि उनका कहना किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि हमारे यहां दो क़िस्म के लोग होते हैं, एक तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि इस कांग्रेस की हुकूमत से किसी ग़रीब का भला नहीं होने वाला है, कुछ लोगों का यह यक़ीन है कि कांस्टीटयूशनल तरीक़े से क़ानून द्वारा किसी गिरी हुई जाति का इस देश में भला होने वाला नहीं है और वह दूसरा रास्ता अख्तियार करने को कहते हैं और वह वायलेंस से उस कुरीति को हटाना चाहते हैं, एक एवोलूशन का रास्ता है, दूसरा रेवूलूशन का रास्ता है। आज समाज का बच्चा बच्चा इस कुप्रथा के खिलाफ पुकार रहा है, अगर उसको हमने रोकने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि वह तमाम चीजें ग़लत रास्ते पर चली जायं और उसका समाज पर बुरा असर हो और चूंकि अनेक सदियों से स्त्री जाति हमारे समाज में पददलित रही और मुसीबत में रही है, इसलिए हमारा यह फ़र्ज है कि हम क़ानून का सहारा लेकर उनको खड़ा करने की कोशिश करें, यह क़ानून जो हम बनवाना चाहते हैं, यह तो एक थोड़ा सा उनको उठाने के लिए सहार है, बाकी सहारा वह बेचारी औरतें खुद तलाश कर लेंगी। यह तो एक मामूली सा सहारा होगा जो कि आप देंगे और लोगों की तवज्जह इस तरफ़ करेंगे कि इस क़िस्म का काम करना मना है, इस बात को मैं मानती हूं कि उसके लिए हमें लोगों को एज्यूकेट करना चाहिए, लेकिन ऐसे भी, बहुत से लोग होते हैं जो शिक्षा से नहीं मानते वह डंडे से मानने वाले होते हैं, शिक्षा इस दिशा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, लेकिन कुछ लोग शिक्षित होते हुए भी इस को नहीं मानते और उनके लिए डंडे की जरूरत पड़ती है और मैंने सुना है कि हमारे धर्म ग्रन्थों

में विशेष अवस्था में दंड विधान की व्यवस्था दी गयी है, साम, दाम, दंड, भेद इन चारों में दंड की भी अपनी विशेषता है और वह भी एक जरूरी चीज है। यह कोई मजाक की चीज नहीं है, यह जो आज स्त्री जाति पर अत्याचार हो रहा है, हमें उसको महसूस करना चाहिए और इस सम्बन्ध में मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इस बिल को फ़ौरन पास करें और इसके साथ दूसरा अमेंडमेंट जो दंड का है, लेने वाले को दंड भी मिलना चाहिए, वह जरूर उसके साथ लगा दिया जाय।

श्री नन्द लाल शर्मा : मुझे श्रीमती उमा नेहरू ने इस बिल के आवजेक्टस् एन्ड रीज़न्स के विषय में जो शब्द कहे हैं और जो उद्देश्य बतलाया गया है, उस उद्देश्य और उस भावना से जो इस बिल में निहित है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है .....

Mr. Chairman: I would request the hon. Member kindly to be as brief as possible. I have got something like 15 persons who have given their names in the list for speaking on this matter. But I am not going to follow this list as there are others who have not sent in their names and who may perhaps be more anxious to speak. However, the time at our disposal is limited.

Pandit K. C. Sharma: Please give five minutes each.

Mr. Chairman: I have no objection. The point in dispute so far as this Bill is concerned is not very serious. There are only a few amendments to the Bill and it is not a very complicated affair. I would request hon. Members only to take five minutes each.

Pandit K. C. Sharma: Will you go by the list or by the eye?

Mr. Chairman: I have already indicated that the list will not bind the Chair.

Shri R. K. Chaudhury: May I know whether the rule of five minutes will apply to women Members also?

Mr. Chairman: I have not fixed any time limit for the Bill and in the case of lady Members who are more interested in this Bill, more time may be given and so also in the case of those who are opposed to the Bill, but I leave it to the discretion of the Members themselves.

Shri Dabhi (Kaira North): Sir, some of us have already introduced similar Bills. I therefore submit that when this Bill is discussed we should be given a priority—not exactly priority—but those who have introduced similar Bills should be given some time.

Mr. Chairman: Order, order. The mere fact that a Bill has been introduced by an hon. Member does not show that he is more qualified to speak on this Bill than the others who have given notice of amendments. As the time is limited I shall have to make a selection. The hon. Member may rest assured that his case will also be considered on merits.

श्री विभूति मिश्र : मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि जिन १५ आदमियों ने अपने नाम दिये हैं वही बोलने का अवसर पायेंगे या दूसरों को भी मौका मिलेगा।

Mr. Chairman: It appears the hon. Member was not attentive when this question was put by Pandit K. C. Sharma and the Chair gave a reply.

If suggestions are coming only on this point ten minutes will be spent on this!

Shri C. Bhatt (Broach): Sir, I suggest that more time should be given to those who have daughters and less time to those who have only sons.

श्री नन्द लाल शर्मा :

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यैचतस्यै जनकात्मजायै ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः ।

समय का बन्धन मुझ से आरम्भ किया गया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस दृष्टिकोण को आपके सामने रखने लगा हूं शायद वह दूसरा कोई रख न पावे । इस लिये आप कृपा कर के समय का बन्धन यहां मुझ पर न लागू करेंगे ।

Mr. Chairman: This is the reason why I called upon the hon. Member to speak.

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं ने जैसा निवेदन किया है कि मैं इस विधेयक के उद्देश्यों से सर्वथा सहमत हूं । कोई यदि उद्देश्यों सम्बन्धी जगह को देखे तो जहां यह शब्द कहे गये हैं कि 'एग्जार्बिटेन्ट चार्जेज' होते हैं अथवा आगे चल कर जो यह शब्द कहे गये हैं कि कन्याओं का विक्रय होता है, इन दोनों बातों का कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी सभ्य समाज का आदमी समर्थन नहीं करता है और न कर ही सकता है । इस लिये इस दृष्टिकोण में कोई मतभेद नहीं है । केवल दो एक शब्द कहना चाहता हूं । इस बिल को देख कर के यह जो कालीदास का यहां नाम लिया गया, भवभूति के शब्द कह डाले, फिर बाद में कुछ और ही कहा गया । हम को खेद हुआ कि इस बिल के नाम के ऊपर लिखा है "डावरी रिस्ट्रेन्ट बिल" । किन्तु उस को पढ़ने पर पता चलता है कि वहां 'डावरी ऐबालिशन बिल' है । उस में रिस्ट्रेन्ट नहीं है, एक प्रथा को, एक अधिकार को सर्वथा मिटा दिया गया है । और वह अधिकार किस के लिये है ? हमारे लिये नहीं, हमारी बहन, बेटियों और बच्चियों के लिये और हमारी माताओं के लिये है । उस पर भी एक बात में खेद से अनुभव करता हूं कि हमारी बहन सुभद्रा जोशी ने पुरुष समाज और स्त्री समाज के लिये न जाने क्या क्या शब्द कह डाले । यह मेरा अपना अनुभव है कि पुरुष समाज और स्त्री समाज दोनों अलग अलग समाज नहीं हैं । हर पुरुष के घर में उस की पत्नी, उस की कन्या, उस की बहन होती हैं और अगर यह तीनों नहीं भी हैं, तो भी कोई पुरुष ऐसा नहीं हो सकता जिस के घर में मां न हो । और माता यदि चाहे तो वह केवल अपनी बालिका को ही पैदा करे, और अगर पुरुष और स्त्री को दो समाज मानने लगें तो लड़का होते ही उस को स्वाह कर दे, नष्ट कर दे, मिटा दे । इस लिये मैं समझता हूं कि जो पाश्चात्य सिद्धान्त से, पाश्चात्य ढंग से चल कर के हम ने पुरुष और स्त्री के दो समाजों की भावना प्राप्त की है उस को हमें प्रथक कर देना चाहिये ।

इस के साथ साथ मैं इस बिल पर भी दो चार शब्द कहना चाहता हूं, और वह यह है कि आप की इस डावरी की डेफ़िनिशन में यह शब्द हैं :

"'Dowry' means anything paid in cash or kind as a part of the contract of any betrothal or marriage"

12 NOON

मेरा अत्यन्त नम्रता से निवेदन है कि जहां तक हिन्दू धर्म शास्त्रों को हम देखते हैं, यह शब्द हिन्दू विवाहों पर लागू नहीं होते हैं । कारण क्या है ? हिन्दू विवाह ही सारे विश्व में एक मात्र विवाह है जो कंट्रैक्ट नहीं है । हिन्दू विवाह तो एक संस्कार है । जैसा श्रीमती उमा नेहरू ने कन्यादान शब्द कह कर प्रायश्चित की बात बतलाई है, उस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि समय परिवर्तन होने पर जो धर्म को अधर्म समझता हो,

अच्छी बात को बुरी बात समझता हो, यह उसके दुर्भाग्य का समय है, समय परिवर्त्तन है। कन्या को दान इस लिये नहीं किया जाता है कि कन्या को पशु समझा जाता है। गऊ को दान इस लिये नहीं किया जाता है कि गऊ को पशु समझा जाता है। गऊ का दान हिन्दू धर्म में इस लिये है कि गऊ को माता समझा जाता है, गऊ का दान सब से पवित्र धर्म माना जाता है :

'इष्टं धर्मेण योजयेत्',

जो सब से प्यारी वस्तु हो उस को धर्म को अर्पण करना होता है। कन्या को भी जिस समय दान करने के लिये कहा है तो उस को पशु रूप से दान करने के लिये नहीं कहा :

इमां श्रीरूपिणीं कन्यां विष्णुरूपिणे वराय तुभ्यमहं सम्प्रददे।

"लक्ष्मी रूपी कन्या को मैं विष्णु रूप वर के प्रति अर्पण कर रहा हूं" यह शब्द आते हैं, यह शब्द नहीं आता है कि "मैं एक पशु को लेकर के" अथवा "अपने एक पशु को ले कर" देता हूं। हिन्दू धर्म शास्त्र और हिन्दू सभ्यता के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिये। आप डावरी को रिस्ट्रेन्ट करें, तथा कन्या के विक्रय को रोकें। समाज के अन्दर और जो गल्तियां आ गई हों उन को आप रोकें, हम कभी भी उसका विरोध नहीं करेंगे। किन्तु मैं एक बात जरूर चाहता हूं कि माता पिता ने जिस कन्या को, अपनी संतान को अत्यंत स्नेह से पाला है, उस को जिस समय वह दूसरे कुल में अर्पण करने लगते हैं तो उन के मन में स्वयम् यह भाव आता है कि मैं अपनी सम्पत्ति में से एक भाग कन्या के लिये निकाल दूं। यह अनुचित है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार, जो कुछ कि उस के अन्दर शक्ति हो, उस कन्या को दान करे, लक्ष्मी रूपी कन्या को, उस लक्ष्मी रूपी कन्या के स्वतंत्र निर्वाह के वास्ते वह उस को स्वीकार न करे। जो कुछ कि उस को आग्रह से दिया जा रहा है वह उस को स्वीकार करना चाहिये। पिता ऐसी रूप से देता है जैसे दक्ष ने अपनी कन्याओं को अर्पण करते समय कहा कि अब संसार को प्रचलित करो, पूरे संसार के कल्याण के लिये। मैं संसार के उपयुक्त जो ग्राह्य सामग्री है वह तुम को अर्पण करता हूं। इस लिये मेरा कहना है कि डावरी को सर्वथा रोकना, दहेज को सर्वथा रोकना अनुचित है। जहां माता पिता अपनी शक्ति से बाहर काम करते हैं वहां दहेज को रोकना उपयुक्त है, उचित है और मैं समझता हूं कि मैं क्या कोई भी उसका विरोध नहीं करता।

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने यह शब्द कहे कि जो लोग इस बिल का विरोध करते हैं उन के घरों में देखना चाहिये कि उन के कितनी कन्यायें हैं और कितने लड़के हैं। मेरा केवल इतना निवेदन है, इस दृष्टिकोण से कि यह भाव आप को नहीं रखना चाहिये। हमारे यहां पुत्र का भी दान किया जाता है।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़): पुत्र का दान ?

श्री नन्द लाल शर्मा : कठोपनिषद में दिया है कि उद्दालक अरूणी सर्ववेदस् यज्ञ कर रहे हैं और वह गउओं को दान कर रहे हैं :

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः। अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्॥

जो गायें पानी पी चुकी हैं, अब और पानी पीने की ताकत उन में नहीं है, जो

[श्री नन्द लाल शर्मा]

गायें घास खा चुकी हैं कि और घास चरने की उन में ताकत नहीं है, ऐसी गायों का जिस समय दान करने लगते हैं तो उस समय नचिकेता समझ गया कि मेरे पिता स्वार्थ वश, ममतावश मेरे लिये अच्छी गायें रख रहे हैं, इससे मेरे पिता का कल्याण नहीं होगा। उस समय नचिकेता कहते हैं : तत कस्मै मां दास्यसीति

पिता मेरा दान किसके प्रति करोगे एक बार कहा, दोबारा कहा, तीसरी बार कहा। जब तीसरी बार कहा तो पिता ने उत्तर दिया 'मृत्यवे त्वा ददामि' कि मैं तुमको मृत्यु को दान करूंगा। उस समय नचिकेता स्वयं मृत्यु के पास जाते हैं। पिता की आज्ञा पुत्र के लिये सर्वस्व है। यह श्रुति है कोई कहानी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : दान नहीं है, त्याग है।

श्री नन्द लाल शर्मा : दान शब्द का अर्थ त्याग ही होता है। दान का अर्थ है अपने स्वत्व अधिकार का परित्याग करके दूसरे के स्वत्व अधिकार का सम्पादन करना। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि सबके देखते देखते राजा दशरथ ने अन्याय पूर्वक श्री राम को बनवास दिया। राम ने स्वीकार किया अपने आपको पिता की सम्पत्ति कहकर। संतान रूप से पिता की सम्पत्ति अपने आपको मानना पुत्र तथा कन्या दोनों का कर्त्तव्य है। तो इस भावना से कन्या का दान किया जाता है कोई पशु पक्षी की तरह नहीं, या कोई सम्पत्ति समझ कर दान करने की भावना नहीं है।

इसके साथ मैं दो शब्द और कहना चाहता हूं। औरतों को अधिकार है कि उनके लिए यह होना चाहिए और वह होना चाहिये। हम तो इस औरत शब्द का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझते। हमारे यहां अपनी पत्नी को छोड़कर समस्त विश्व की देवियां या तो मातायें हैं, या बहिनें हैं या कन्यायें हैं। इसके अतिरिक्त हमारी उनके साथ कोई भावना नहीं है। हम पाश्चात्य सभ्यता के ढंग से स्त्री को विलासिता का केन्द्र समझ कर उसका सूर्पनखा के रूप से स्वागत नहीं करते। हम तो सीता की तरह ही उसका स्वागत करते हैं। हम लक्षमण की तरह देवियों को देखते हैं जो कि कहते हैं :

कङ्कणौ नैव जानामि नैव जानामि कुण्डले ।
नूपुरावेव जानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ।

मैं सीता के कंकण को नहीं पहचानता, मैं सीता के कुंडल को नहीं पहचानता, मैं उनके नूपुर को पहचानता हूं क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों की वन्दना करता था। मैं ने सीता के हाथ नहीं देखे, मैं ने सीता के कान नहीं देखे, मैं ने तो सीता के केवल चरण देखें हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हम बहुत प्रयत्न करेंगे तो स्त्री को पार्लियामेंट का चेयरमैन बना देंगे या स्पीकर बना देंगे परन्तु हम दुर्भाग्यवश उसके मुंह पर ढाढ़ी मूंछ पैदा नहीं कर सकते इसका हम क्या करें। माताओं का पूर्ण मान रखते हुए मैं यह कहता हूं कि एक पुरुष चाहे तो एक वर्ष में सैकड़ों गर्भ दे सकता है पर स्त्री हजार प्रयत्न करके भी मर जाय तो भी वह दस गर्भ भी नहीं धारण कर सकती है।

Mr. Chairman: Order, order, I am very sorry to interrupt. What the hon. Member says is very interesting but beside the point and it is not relevant to the Bill. The status of women only comes in incidentally so far as this Bill is concerned. He is expatiating on the status of women in Hindu society. I would request him to bring

his remarks to a close unless he has anything relevant to say.

Shri Nand Lal Sharma: I raised the points only so far as they were referred to here.

Shri Dhulekar (Jhansi Distt.—South): It should be more decent.

Some Hon. Members: It should be expunged.

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं ने कोई अनुचित शब्द कहने का प्रयत्न नहीं किया है। मेरा यह कहना है कि प्रकृति के द्वारा जो असमानता सम्पादन कर दी गयी है उस असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे तो हमारे यहां पिता से माता का दस गुना गौरव माना गया है पितुर्दशगुणामातागौरवेणातिरिच्यते। इसी लिए हम राम से पहले सीता का नाम लेते हैं, शंकर से पहले गौरी का नाम लेते हैं, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम लेते हैं।

Mr. Chairman: I have already indicated that this point about status of women in Hindu society is only very remotely relevant here.

श्री नन्द लाल शर्मा : I am coming to a close. I thank you very much for the time that you have given to me.

मेरा इतना निवेदन है कि माता पिता का यह कर्त्तव्य है कि वह कन्या को अपने घर से बिल्कुल खाली हाथ न चलावें, उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो यह दो बातें दी हुई हैं कि :

"As a result of this custom many persons have to pay exorbitant sums to secure bridegrooms for their daughters. Again, in some parts there is regular traffic of selling and buying girls."

यह तो हमें सर्वथा मान्य है। इनको कोई कानून बनाकर रोकना चाहिए। परन्तु यदि इसका यह अर्थ है कि डाउरी देना सर्वथा नष्ट किया जाय तो उसका मैं विरोध करता हूं और अत्यन्त शुद्ध भाव से विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि श्रीमती उमा नेहरू जी मेरी भावनाओं को समझेंगी और उनके उद्देश्य का विरोध न करते हुए, किसी भी डाउरी देने वाले को दंड दिया जा सके इस भावना का मैं विरोध करता हूं। हमारे शास्त्रों के अनुसार माता पिता की ओर से कन्या को जो आभूषण वस्त्र आदि दिया जाता है वह सब स्त्री धन ही है और यह भी कहा गया है कि स्त्री धन से जीवन निर्वाह चलाने वाला व्यक्ति नर्क का भागी होता है। और संसार में कलंक का भागी होता है। इसलिए उसे कभी भी किसी धर्म शास्त्र ने स्वीकार नहीं किया।

Shrimati Renu Chakravartty: (Basirhat): Ever since some of us have introduced similar Bills in this House, we have received many letters congratulating us and telling us that this is a Bill which seeks to eradicate evils which are today burdening entire society, and leading to hardships —not only hardships, but are demeaning to the human dignity both of men and women. I am sorry to say that in a section of this House this Bill has been treated with a certain amount of levity.

Some Hon. Members: No, no.

Shrimati Renu Chakravartty: There has also been a tendency to regard this Bill as a battle between men and women.

Some Hon. Members: No, no.

Shrimati Renu Chakravartty: It is unfortunate. In the Statement of Objects and reasons, I would have liked it to be stated: "this custom of not only paying exorbitant sums to secure bridegrooms for their daughters," but also *vice versa*. This custom, in cer-

[Shrimati Renu Chakravartty]

tain castes and in certain communities does act in a manner whereby bridegrooms also have to pay exorbitant sums for getting wives. I would like the whole matter to be treated as a part of feudal exploitation which still remains in our country. I will illustrate my remarks further on to show that this is a form of exploitation which every section of the House, every section of the people should oppose, if we stand for human dignity, for equality about which we have written so much in the Constitution.

I should just like to say one or two words about the speech that has been just made on the floor of the House. The latter part of his speech I shall not mention because I think it was undignified. But, in the first part of it, the speaker was pleased to say that he regarded everybody as a kanya, as a mother or a sister and that he was against dividing up society as men and women. But, I would like to ask this. When it comes to a question of property, different scales and different theories are propounded in order to make a differentiation and divide up society. When it comes to a question of wages, even though we have propounded many times in the Constitution that we stand for equality between the sexes, no equal wages still prevail. Therefore, there is no use saying it is due to western culture. We should not forget our own evils, and try every time to raise this question of "Dharma" and get away with it.

The second point I would like to mention is this (*Interruption*) I do not give way to him, Sir. He says that gifts which are given according to the ability to pay of the father of the bridegroom or the bride, this Bill is going to stop even that. My point is that we have nowhere said that a certain amount as gifts will not be allowed, but the very fact that you are trying to introduce into this Bill some such clause is only the thin end of the wedge whereby you want to allow further exploitation and get away with it by saying that this is a voluntary gift. That is exactly what we want to prevent. If there are certain legal terms which are loose here and there, I am sure the proposer will be prepared to accept certain amendments but the real point is that dowry is not voluntary. Today it is a question of commercialised vice, it is something which we are demanding as an exchange for buying and selling, sons and daughters and that is what we want to object to and that is why we are bringing forward this Bill

Another point which I should like to mention is this, that we do not believe that only legislation or only one legislation is going to bring about a change and bring about equality between man and woman. We think that this is just a method, just a small measure, whereby we can focus attention, whereby the entire consciousness of the public will be roused. But, I object to what my friend Prof. Sharma has said, *viz.*, that we must elicit public opinion. If it is a question of eliciting public opinion, we who have supported the Hindu Code Bill know what it means. It means a method of sabotaging the whole thing, and therefore, we very, very strongly object to this Bill being sent for eliciting public opinion.

Shri Nambiar (Mayuram): Must be passed straightway here and now.

Shrimati Renu Chakravartty: Now I come back to my point, about the Bill being not only for women. The Bill seeks to stop exploitation which has come down as a result of the feudal structure of our society. Many friends here have said that social legislation is something that only touches the superstructure of things, that we are only touching the fringe of the problem; unless we have basic changes,—economic changes, political changes, such social legislation will not be of much use. There is a certain amount of truth in it, but I would say that the whole concept of bringing this Bill is that it is a fight against exploitation and inequality, and that by bringing this forward we

want that other measures, fundamental measures for bringing about economic equality should be strengthened. Every step towards progress helps us to strengthen the general movement of progress for economic and political equality and independence. Therefore, I do feel that while we want to pass this legislation, we also want a great public opinion to be created whereby not a single person, man or woman, can either give or receive dowry. What have we seen in the case of the Sharda Act? It is true we have passed that Act, but what has happened? That Act has remained a dead letter. We have passed the Remarriage of Widows Act, but what do we see? Everywhere the same oppression of widows continues. The same sort of difficulty continues for widows to get married. Yet, on the other hand, in spite of the fact that we have not got a law insisting no monogamy, social opinion does go against it. Therefore, we should boycott every case of dowry, we should create such a huge opinion about it that no single person will be able to give or take dowry. That is our whole idea in bringing this Bill. A huge public opinion has to be created along with the passing of this Bill. That is the point which I wish to make clear.

Another point which I would like to make is this. Those who are working among the *Kisans* in the *kisan* movement, have seen that this type of taking and giving dowry has become linked up with exploitation of the agriculturists, of the lowest classes of society. For instance, I will give you the case of the people living in Tripperan. Among the Rials in Tripperan for three years a girl has to go and work in the house of the man she is to marry (*Interruption*) oh, no. Amongst the Tipperites, it is the man who has to go and work in the house of the woman he has to marry. And here is the proof of the exploitation. There are many examples where after having worked without any money, only for food and clothing, for two years and nine months, sometimes ten months, the marriage is broken off, and again for three years he has to go and work in another place. And for years this form of *begar* exploitation goes on. It is not a matter for laughing. It is a question of *begar* labour which is a very big problem, a problem which those who work among the *Kisans* have to take note of. So, it is a question of bringing to the forefront this feudal exploitation. As far as *begar* goes in general agricultural terms, we know about and we fight against this *begar* form of labour wherever it is direct, but even in an indirect form this *begar* labour is introduced and must be fought.

In the case of the Maugs, a woman has to procure by whatever means she can, sometimes even to the point of prostitution, money to be able to buy a bullock, a plough-share and the essential household goods as dowry. These are certain things that are actually prevalent amongst the tribals. You will see in very clear form how it is a practice descending from feudal exploitation. Of course, when we come to the upper castes, all of us know what actually happens. In my province...

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): Will this Bill stop all this?

Shrimati Renu Chakravartty: I would again like to make it clear to the hon. Minister that...

Mr. Chairman: I would request hon. Members not to take this Bill in such a light manner. There is no question of laughter etc.

Shri Biswas: That is exactly why I put the question. As a matter of fact, she is talking about the Dowry Bill, and if we knew that the Dowry Bill would put an end to these evils, every one of us would be glad, and we should welcome it.

Shrimati Renu Chakravartty: I would like to ask the hon. Minister whether by introducing the Estate Duty Bill he will be able to stop all

[Shrimati Renu Chakravartty]

the people who are taxable from getting away from it. Therefore, if he looks upon every legislation from this point of view of its being able to stop every evil, then I think we should all go home and not come to Parliament.

As far as the higher castes are concerned, I come from a province...

Shri Biswas: You suggested that we were treating the Bill with levity. I was repelling that charge.

Shrimati Renu Chakravartty: I am very glad he is taking it with very great seriousness, and I am sure he will also see his way to accept it and tighten up the Bill.

I was talking about my own province. Those who come from Bengal, or maybe from other provinces too may know the case of Snehalata where a woman, because her parents were not able to give the amount of money asked for dowry and there was a certain amount of trouble over it, had to suffer great indignity, and in the end she had to put an end to her life, she committed suicide. At that time public opinion was roused on that matter, and for some time at least, there was a feeling that something must be done whether by legislation or by public action to stop such things. I have been to colony after colony of refugees where I have seen that girls of 18, 20, 25, even 30 are unable to be married off by their parents because they have not got the money to be given as dowry. Nor are they educated, so that they are unable to stand on their own feet, nor can they be married off. We also know of cases in which this question of commercialisation has come to such a pass that, because fathers cannot get rid of their daughters, some one is shown during the preliminary arrangements of the marriage as the bride, and then during the marriage somebody else is brought in and the girl is married off, because the amount of dowry that would have to be paid otherwise would be exorbitant. And then we know what the fate of this girl would be.

I would also state—because I have an amendment on that point which I shall raise at a later stage—that not only do I want that dowry to be given at the time of marriage should be included in this Bill, but also anything that can be regarded as dowry which is extorted even after marriage, within a period of three years, should be included. Because, in my parts I have seen that such demands are made and continue to be made, after marriage, and unless they are fulfilled by the parent, there is a great deal of hardship on the girl, and many cases have come to us where life has become a hell for them. Therefore, I would like this amendment also to be included here.

Now I would like to say why it is that we support this Bill. We support this Bill with a view to muster great public opinion against the feudal exploitation of dowry and passing legislation is only a part of the struggle without which we cannot do anything. As far as I am concerned. I am quite clear about that. We also know that this is only a partial thing. But we support every partial measure because we believe that by supporting every partial measure for relief, we are able to support something much bigger that is to come. By always raising fundamentals, we will not be able to get very far. Sometimes we have to support partial measures. Therefore, we feel that any move that supports something that is progressive, something that tries to raise human dignity, something that tries to reduce exploitation should be supported wholeheartedly and I hope that Government will see its way to support this Bill instead of sending it for eliciting public opinion etc. and thereby sabotaging this Bill.

Shri Dabhi: I rise to support the motion moved by Shrimati Uma Nehru. Sir, I am glad to support this Bill because it was I who for the first time

introduced a similar Bill in the Bombay Legislative Assembly. There, according to the rules of procedure, the Legislative Assembly passed the first reading of the Bill. Then, Sir, it was sent for eliciting public opinion, and I may inform the House that an overwhelming majority of the people who sent in their opinion were in favour of this Bill. Not only that, Sir, I received several—not only several, but numerous—letters and numerous resolutions from various social oganisations congratulating me for introducing that Bill.

Then, Sir, that Bill was, according to the rules prevailing there, referred to a Select Committee. But one hitch came in the way of passing that Bill and that was that at that time the Hindu Code Bill was being discussed on the floor of this House, that is, the provisional Parliament, and clause 93 of that Bill in fact recognised dowry. So the Select Committee was of the opinion that perhaps it might go against it and that the Bill, if passed, might be repugnant to that particular section of the Hindu Code Bill. It was for this reason that it was not proceeded with.

Now, Sir, you will see from the definition that 'dowry' includes both the bride's price as also the bridegroom's price. I may call the bride's price as 'Kanya Vikraya' and the bride-groom's price as 'Var Vikraya'. Sir, I do not think in the whole of India there is any community in which either 'Kanya Vikraya' or 'Var Vikraya' is not prevalent. Sir, we know that according to the Hindu Sastras, all the educated and orthodox people—everybody—condemn this *kanya vikraya*.. According to Baudhayana, those who take bride's money, those who take money for their daughters, are condemned to eternal hell. One verse says:

शल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिताः।
पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चासप्तमात् कुलात् ॥

"Those greedy people who give their daughters for a price fall into into eternal hell."

Another verse of Padma Puran says:

कन्याविक्रयिणां राजन् न पश्येद् वदनं बुधः
दृष्ट्वा चाज्ञानतो वापि कुर्यान्मार्तण्डदर्शनम् ॥

"One should not see the faces of those who sell their daughters. In case he does so through inadvertence, he should make penance."

Now, I can point out any number of evils of this system of 'kanya, vikraya'. In the first place, the bridegroom's people have to pay exorbitant sums to the greedy father of the girl, who does not know what would become of his future son-in-law as a result of his being deprived of everything.

Shri Dhulekar: May I put a question? Is it not a question of population. In Punjab where the girls are small in number, the husband's people have to pay and where the girls are in abundance, the girl's people have to pay.

Shri Dabhi: In the second place, Sir, the very idea of a human being given away for money is detestable. It is tantamount to selling one's daughter. This means that they are no better than chattels or cattle. We know that the more useful the cattle, the more price it will fetch. In the same way, in communities where this *kanya vikraya* prevails the more useful the girl, the more price she will fetch. That is the condition.

Then, Sir, another effect of this custom of *kanya vikraya* is this: that the man who wants to take money for his daughter does not care to know whether the bridegroom is a fit one or not. And in communities where this custom prevails, the position is that the older and uglier the bridegroom, the more money he has to pay. So the result has been that in several cases very beautiful girls are compelled to marry ugly people and girls having milk teeth in their mouth have to marry people who have no teeth in their mouth.

[Shri Dabhi]

Sir, I would now refer to the custom of 'var vikraya'. Here also, Sir, in those communities where this custom prevails, people have been financially ruined as a result of trying to find out money for giving to their sons-in-law. Sir, I would quote only one example. It actually happened in Gujarat. Several such cases are happening. Sir, there were two families. The boy's family and the girl's family, both were ordinarily educated. But the girl's father was of ordinary means. The girl and the boy both were educated. Then the girl's father, though of ordinary means, was able to say that he would be able to pay Rs. 5,000. But the boy's father said: "No, no. My son is not an ordinary mango. He is an *aphus* mango, an alfanso mango, and therefore, he should have more price." This is the position, Sir, where this custom prevails.

Then again, another terrible result of this dowry system is this. It happened previously and is now happening in certain communities, at least in Kaira district. The mothers-in-law have, either in connivance with their sons or with the assistance of their sons, persecuted the girls to such an extent....

Mr. Chairman: More than seven minutes are over. I would request the hon. Member to conclude.

Shri Dabhi: So there have been several cases in which the mothers-in-law have not only persecuted their daughters-in-law, but sometimes they have actually killed those innocent girls and in certain cases they have persecuted them so much with a view to compelling the girls' fathers to pay more dowry money that the girls have had to put an end to their lives either by hanging or by pouring kerosene oil on their clothes and burning them. Such has been the terrible effect of this system.

Such has been the terrible result of this system, Sir. I have no time; otherwise I would have given you several instances of how the bride's people have felt. I would give an interesting instance of that. I will read a few lines from the weekly paper *Vigil* dated 31st March, 1952. At page 5 this news is given.

> "It is said that Munshi Baldev Lal of village Sangampur in the district of Gaya went to Hilsa with a *barat* for the marriage of his son with the daughter of Sri Hargouri Lal of village Phulwaria. Some trouble arose with regard to the payment of dowry. It is said some persons of the bride's side, annoyed with the arrogant attitude of the bridegroom's party, kept one box of scorpions in the *janwasa* with the result that about 30 persons became victims of scorpion's sting and four persons became unconscious."

An Hon. Member: So that should be the fine.

Shri Dabhi: This custom of *raya* is based on the idea that woman is inferior to man and that when a man takes a bride and at the same time asks for some money to be given to him, it means that if the bride and the bridegroom are weighed in the balance, the scale of the bride would go up and therefore some money has to be put on the pan so that they may be equal. This idea that woman is inferior to a man, as Shrimati Renu Chakravartty put it, goes against the Constitution.

Lastly, as regards public opinion, I said I have received several letters and several resolutions and so I have no doubt that there would be anybody against this Bill.

Lastly, Sir, one point. The hon. Law Minister said that he is prepared to support this Bill if this evil could be stopped. Has any evil been stopped by any other legislation. The Penal Code is there and several offences are punishable. Would anybody show a single instance where evil has

been altogether extinguished or eradicated.

Shri Biswas: I never made that point, Sir.

Mr. Chairman: Shrimati Renu Chakravartty was referring to other evils which do not form the subject-matter of this Bill. The hon. Law Minister said that those evils could not be stopped by this Bill. He never stated that the evils regarding dowry could not be stopped.

Shri Biswas: Nor did I say that because legislation cannot stop an evil, legislation should not be resorted to. I never said that.

Shri Dabhi: Sir, my last point.....

Mr. Chairman: "Lastly" has been repeated at least four times.

Shri Dabhi: Sir, I am finishing. Lastly my point is that social legislation would help social reformers and this Bill would also help them. Though social legislation would not eradicate the evil it may help the social worker. Lastly, in talking of this measure.....

Mr. Chairman: Order, order, please. I must request the hon. Member now to conclude. He said at least five times, 'lastly'. Other hon. Members are also anxious to speak.

Shri Dabhi: I would only say one sentence and not add to it. Sir, taking all these facts and circumstances into consideration, I appeal to this hon. House to unanimously support this motion which prohibits this wicked custom which treats human beings as chattels.....

Mr. Chairman: Will the hon. Member kindly conclude at once? He is going on reading something. There must be an end to all this. He has made the last appeal. I take it that he has finished.

Shri Dabhi: I have not added any sentence, Sir.

Mr. Chairman: I will take it that the hon. Member has concluded.

Shrimati Jayashri (Bombay—Suburban): I am glad that after *tapas* for two years this social legislation has been discussed in this House. I do not see the necessity of circulating this Bill for public opinion because I expect that our Members who represent 37 crores of people of India who are here would not have come here to discuss today without giving any thought to this Bill and trying to create public opinion on this Bill.

Sir, we know that there are such evil customs as untouchability. There is enough public opinion created about this evil and even then are we not told that Government think of bringing in legislation to stop this evil? This proves that whenever there are social evils, social customs which work as diseases in our society, they require to be removed by social legislation. Sir, the other argument raised by Shri Nandlal Sharma that we want this Bill to stop giving gifts to our daughters. I think is very wrong. This Bill does not want to stop whatever gift a parent wants to give to the daughters. We know that parents are anxious that their daughters are well settled. But the stigma attaches when this gift becomes a sort of barter, when it becomes, as Shri Dabhi said, *var vikraya* or *kanya vikraya;* then only the stigma attaches to the gifts. In our Hindu Code Bill in clause 93, we had this dowry to be held in trust for the wife. On the basis of this clause we thought that if we bring this legislation we can put before the public a better and clearer view about these gifts or money given, whatever is given to the daughter. I would like to make this clear that we do not want to stop the gift of parents, who want to see that their daughters are well settled. But we know that this dowry becomes an evil when it is a sort of barter.

I would read only a short para. of a letter which we received when we introduced this Bill in March 1953.

> "Dowry has taken yet another toll. According to reports, a shop keeper of Jammu committed suicide by jumping into a well be-

[Shrimati Jayashri]

cause he could not bear the humiliation following his inability to pay the bridegroom the promised dowry....."

We know how parents feel miserable when a daughter is born in their house. In Shakuntala when Kanva Rishi gives away Shakuntala to Dushyanta he speaks this:

अर्थोहि कन्या परकीयमेव
तामध्यसंप्रेष्य परिग्रहितुं
जातो ममायं विषदःप्रकामं
प्रत्यर्पित न्यास इवंतरात्मा ।

As if the girl is considered to be a *nyas*, a debt.

An. Hon. Member: A deposit!

Shri Algu Rai Shastri: It is only a simile.

Shrimati Jayashri: A sort of a thing which can be sold. She has no value of her own; she has no individuality; she is a thing of barter. What I mean to suggest is that our daughters are given away, as Umaji had also said, in Kanyadan as if she is a thing to be sold.

An Hon. Member: Not sold!

Shrimati Jayashri: *Dan*, that is, she is given away.

Though the father's anxiety in getting his daughter married is over does this marriage bring happiness to the daughter? Very few parents think over this question. I know from real life; a few cases were brought to my notice. In a case where the girl was a very good looking girl she was married to a military man who went to his Headquarters in the south taking the girl with him. The bridegroom and the parents were not satisfied with the dowry and so they tried harassing the girl. Even she was locked up. The servants were also asked to insult and spit on the girl. Ultimately the girl became so miserable that one day she ran away from the house. Such stories we find in our society.

Those who have seen the picture "Dahez", which depicts the real picture of our society, know that in the case of that beautiful girl married to a bridegroom, who loved each other, the mother of that boy tried to harass the girl and wanted the boy to marry another girl so that she could also bring dowry and bring money in the house. This is the way we look at our girls.

I would like to read a few words from Gandhiji written in the *Young India* of 1928:

> "A correspondent sends me a newspaper cutting showing that recently in Hyderabad, Sind, the demand for bridegrooms has been increasing at an alarming rate, an employee of the Imperial Telegraph Engineering service having exacted Rs. 20,000 as cash dowry during betrothal, and promises of heavy payments on the wedding day and on special occasions thereafter. Any young man who makes dowry a condition of marriage discredits his education and dishonours womanhood. There are many youth movements in the country. I wish that these movements would deal with questions of this character."

This is what Gandhiji had said. We all want to follow Gandhiji in every other respect but when such questions which affect women come up..... I am sorry that this House takes it in a very indifferent mood.

Some Hon. Members: No, no.

Shrimati Jayashri: I am sorry to say the Government also pays very little respect to the Bills which are brought by private Members, and then we are told that we have to wait for this legislation.

Several Hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: I am not calling youngmen who are already married.

They presumably have small daughters if any to marry. I am calling old men who are rather experienced to speak out their mind. Mr. Raghavachari.

Shri R. K. Chaudhury *rose*—

Mr. Chairman: Does Mr. Chaudhury want that I should call out two persons at one time? Mr Raghavachari.

Dr. Jaisoorya (Medak): May I suggest that you will ask unmarried people to speak?

Shri Raghavachari (Penukonda): Almost everybody is anxious to speak on this problem and this is a problem the solution of which does not unfortunately depend upon the kind of activity we are indulging in. Well, I for one would seriously put the question, what is it that has created this problem. It is not that India had not marriages before. It is not that there were not young men and girls in society who lived for generations honourably and well. Then, why is it that this problem of dowry has grown to such an extent that parents and sometimes girls themselves find the need to extinguish themselves, unable to solve this problem? So, this is a new problem that has arisen, and why is it that it has arisen? If you do not go into the causes that have brought about this problem, you cannot find a solution also. There is no use saying: Live with dignity and all that kind of thing to one section or the other. The real problem, to my mind, is that the parents of the girls are very anxious to give the girl to a particular boy or a boy placed in a particular circumstance—as they could see—that will conduce to the happiness of their daughters. So, the solution is not in preventing the man and saying to him, you do not ask anything of a price. It is in preparing your own mind not to accept state of things of this kind to continue that you create a problem to yourselves and offer something to young men.

An Hon. Member: That is commercialism.

Shri Raghavachari: I for one would say this. You want to prevent a man from asking for money along with the girl. Is this a solution? Is the problem of dowry solved? The parent wants to get the girl married. How should he do it? He might go round to every young man to take that girl? Is any young man so approached bound to accept the girl? No. So the parent offers inducements to get the consent of the young men. Therefore, this is a problem that has arisen not because of some other extraneous thing, but because of the way in which the parents have continuously behaved, from generation to generation, offering the girls to a particular individual, and then going and tempting him with all kinds of inducements. Therefore, the real solution must come through the reformation of the ideas of the parents that they must not go about begging, and offering girls to a particular individual of their choice fancifully conceived to be suitably placed. Unfortunately—I am also a parent—the parent's anxiety is to find a suitable place or a good home for the daughter and therefore, he will offer inducements and go on this way. It has ultimately resulted in either the man dictating his terms or the parent offering those things. So any enactment merely for this problem will not cure the thing at all. Therefore, the way out will be through the reformation of the ideas of the parents themselves. It can be done only that way. I for one would say that the solution is not in mere legislation. The solution is more in the reformation of the attitude of society itself, and towards this object, the education of, public opinion is required. That is the only way.

Shri Biswas: It is suggested that a father should not try to see that his daughter is well settled in life?

Shri Raghavachari: Every parent is anxious and it is this anxiety that makes him get into this niche and then blame every other man. You see, if you go on conceiving the solution of this problem by preventive

[Shri Raghavachari]

legislation of this kind more unmarried people may be found in the country soon. Therefore, I for one feel that a solution to this problem lies in the reformation of the society, of this craze for a particular kind of son-in-law fancied well-placed in society. I have lived in society: I have many relations. But I find that it is only the educated man, it is only the so-called cultured man of the modern times who feels more bothered about this institution.

Shrimati Renu Chakravartty: No, no.

Shri Raghavachari: Thousands of marriages take place every day in villages without this kind of price being paid. It is only when you want an educated man, it is only when you want a graduate, a person fancied well placed in life, that all these problems crop up. In the case of thousands of marriages that take place in villages no price is asked for, no price is paid. It is only one or two per cent. of the parents who are faced with this problem. This problem faces more only those parents whose minds are exercised in finding a son-in-law of their own conception.

Take for instance the Sarda Act. The society found that girls could not be married before a particular age. Society had to awaken to the realities of the situation. Of course, some orthodox parents were at one time mentally worried; but now after legislation has come they are not bothered. It was pointed out that the Sarda Act is a dead letter. In fact, there is no need for the Sarda Act at all; every girl is married on the other side of the age limit prescribed in it. So the real solution does not lie in legislation; the real solution lies in a change in the mental attitude of the parents not to seek after son-in-law of their fancy offering inducements.

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य): मैं इस सम्मानीय सभा गृह के सामने जो इस कानून पर बहस हो रही है उस के ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हूं । मैं श्रीमती उमा नेहरू को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी भारी सामाजिक समस्या के ऊपर अपनी राय प्रकट करने का मौका इस हाउस को दिया है । समाज में दहेज का एक बड़ा भारी सवाल है । लेकिन मैं नहीं जानता कि इस में स्त्री और पुरुष के झगड़े की बात क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता । जैसे माता चाहती है कि उस की लड़की अच्छे घर में दी जाय वैसे पिता भी चाहता है कि उस की जो लड़की है वह कोई अच्छे वर को दी जाय । दहेज देने में ज्यादा तकलीफ तो पिता को होती है । न कि माता को होती है । माता और पिता दोनों के लिये यह एक बड़ी भारी समस्या है । लेकिन इस कानून से कुछ मदद होगी, समस्या को हल करने के लिये । सब समस्यायें इस से हल नहीं होंगी, क्योंकि माता पिता भी अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करते हैं । जब कन्या के विवाह का सवाल आता है तो जो माता और पिता कहते हैं कि यह दहेज का सवाल बहुत बुरा है, तो वह उनकी राय बदल जाती है जब कि उनके पुत्र की शादी का समय आ जाता है । फिर उन की राय कुछ अलग रहती है, जैसे कि यात्रा करने के लिये किसी थर्ड क्लास के कम्पार्टमेंट में बैठने के लिये स्टेशन पर खड़े

1 P.M.

होने वाले आदमी होते हैं । जो आदमी अन्दर बैठे होते हैं उन को वह कहते हैं कि बहुत जगह है हमें अन्दर क्यों नहीं आने देते । और जो अन्दर बैठे हुए हैं वे कहते हैं कि कुछ भी जगह नहीं है, आगे देखो । उस डिब्बे में आदमी कोई घुस जाता है और दूसरे स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती है तो वह अपनी राय चेंज कर देता

है। जो स्टेशन पर खड़े हुए मालूम होते हैं, उन को वह कहता है कि आगे बहुत जगह है, इस डिब्बे में बहुत भीड़ है, आगे के डिब्बे में घुसो। तो इस तरह पांच मिनट में उस की राय बदल जाती है। वह भाई जब स्टेशन पर खड़ा होता है और देखता है कि उधर बहुत आदमी हैं तो कहता है कि बहुत जगह है, लेकिन जब वह भी अन्दर बैठ जाता है और दूसरा स्टेशन आता है तो औरों की तकलीफ़ देख कर भी, उन को खड़ा देख कर भी अपनी राय बदल देता है। तो इस तरह वही माता और पिता जो कन्या के विवाह का समय आने पर दहेज के खिलाफ़ बातें करते हैं, वही जब उन के पुत्र के विवाह का समय आता है तो उस के खिलाफ नहीं बोलते।

तो इस में एक बड़ी भारी बुराई भरी हुई होती है। इस बुराई को हटाने के लिये क़ानून की मदद तो जरूर लेनी चाहिये लेकिन क़ानून से सब कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे एक दोस्त ने कहा कि शारदा क़ानून से क्या हुआ? मैं जानता हूं कि शारदा क़ानून से देश को लाभ हुआ है। शारदा क़ानून जब बना तब देश में क्या परिस्थिति थी और अब क्या परिस्थिति है। उस में जो तबदीलियां और बदल हुए हैं वे बदल शारदा क़ानून से हुए है। न केवल शारदा क़ानून से हुए हैं बल्कि उस के साथ लोकमत भी हो गया है। उस में शारदा क़ानून से मदद मिली, इस में मुझे कोई सन्देह नहीं है।

इसी तरह मैं यह मानता हूं कि इस क़ानून से भी बड़ी भारी मदद होने वाली है। वह इस तरह कि जब अच्छे अच्छे नौजवान और पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा कि यह दहेज लेना क़ानून के खिलाफ़ है तो जो लड़की बिल्कुल ग़रीब घराने की होगी, जो अच्छी है, उस के साथ वह विवाह करने को तैयार होंगे। जब लड़के को मालूम हो जायगा कि छिपी रीति से डाउरी ली जायगी तो उसे जेलखाने जाना पड़ेगा, तो वह ग़रीब लड़की के साथ विवाह करने को तैयार होगा अगर वह अच्छी लड़की है, चरित्रवान है और भली है। उस को कोई ग़रीब घराने की अच्छी लड़की मिलेगी तो वह शादी कर लेगा।

फिर दूसरे जो सोशियल बेरिअर्स हैं उन को तोड़ने में भी इस से मदद मिलने वाली है। इसलिये मुझे तो क़ानून से लाभ ही होने वाला है, हानि नहीं, ऐसा लगता है। अब समय आ गया है कि जो सामाजिक समस्यायें हैं उन के ऊपर कुछ न कुछ क़ानून होना चाहिये। एक मुसीबत जो मालूम होती है वह यह है कि सारे भारत में ऐसे छोटे छोटे समाज हैं, कि जिन में लड़कियां कम हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिन में लड़के बहुत कम हैं। पबलिक ओपिनियन, लोकमत ऐसा जागृत होना चाहिये कि उन को ऐसे दूसरे समाज में विवाह करने में दिक्कत न हो। इस तरह यह समस्या भी हल हो जायगी। जिस समाज में ऐसा हो कि लड़कियां बहुत कम हों तो दूसरे समाज के साथ उन की शादी हो जानी चाहिये। फिर इस तरह से जो वह पुराने आदमी हैं, हमारे यहां तो जैसे रामराज्य परिषद् के एक ही मम्बर हैं.......

श्री नन्द लाल शर्मा: चार हैं।

श्री जी० एच० देशपांडे: उन के दल में भी फिर इसका असर हो जायगा। समाज में यह जो बन्धन है कि एक ही समाज में, एक ही विशेष जाति में विवाह करना चाहिये, यह जल्दी से जल्दी टूटना चाहिये।

[श्री जी० एच० देशपांडे]

इस बिल से यह समस्या भी हल होने वाली है।

इसलिये जो बिल सम्माननीय सभा गृह के सामने आया है, उसका मैं पूरी रीति से समर्थन करता हूं। मैं नहीं मानता कि इस बिल से ही सब समस्या हल होंगी, लेकिन समस्या हल होने के लिये इस से कुछ न कुछ मदद जरूर होगी, इस लिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद—दक्षिण): अभी मुझे बहुत से बजर्गों की बातें सुनने का मौका मिला।

Mr. Chairman: Order, order. There is so much noise in the House that the hon. Member is not audible. I would request the hon. Members to keep silent.

Shri Achuthan (Crangannur): I request that priority may be given to those Members who are actually confronted with this problem now.

Mr. Chairman: I don't follow.

Shri Nambiar: He means that bachelors must be allowed to speak first.

Shri R. K. Chaudhury: I wish to inform you, Sir, that I want to oppose this Bill.

Mr. Chairman: I understand that very many Members are anxious to speak—some in support and others against. I should like to have the opinion of the House whether they want to continue the debate.

Sardar A. S. Saigal (Bilaspur): Nobody is opposing, Sir.

Shri R. K. Chaudhury: I have been saying 'I am opposing'.

Mr. Chairman: Since several Members are anxious to take part, the debate will not be finished today.

डा० राम सुभग सिंह: रोहिणी बाबू ने कहा कि वह इस बिल का विरोध करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर की उन तमाम चीजों का समर्थन करना चाहिए जिनसे इस वक्त की प्रचलित बुराइयां दूर हों। उन सब बुराइयों की जड़ हम लोगों की वर्त्तमान आर्थिक व्यवस्था में है आर्थिक व्यवस्था में जो कुछ संशोधन करने की बातें आती हैं, वह पूरे दिल और ताकत से नहीं आती। फलस्वरूप हमारी सामाजिक कुरीतियां और ज्यादा ताकतवर होती जाती हैं। अभी कुछ महिला सदस्यों ने कहा कि सभी बुराइयों की जड़ पुरुष हैं, लेकिन मैं इससे पूर्णतया सहमत नहीं! मैं चाहता हूं कि यह समाज बिल्कुल तबदील कर दिया जाय।

Mr. Chairman: Order, order. There is so much noise. May I ask hon. Members to go outside to the Lobby if they want to talk. We should hear the debate.

डा० राम सुभग सिंह: कुछ भाइयों तथा हमारी बहिनों ने भी कहा कि विवाह में जो दहेज प्रथा चलती है, उसका मूल कारण पुरुष समाज ही है। अभी श्री राघवचारी ने जो बात कही, वह बहुत मार्के की बात है। उसके लिए मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं। उन्होंने एक अच्छी चीज निकाल करके इस भवन के सामने रखी।

हमको देखना चाहिये कि किस कारण से आज हम लोगों को जिहालत में पड़ना पड़ रहा है। श्री नंदलाल शर्मा ने बतलाया कि हम लोगों के धार्मिक रस्म रिवाज ऐसे रहे हैं कि जिनके रहते कन्यादान करना जरूरी होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन रीति रिवाजों में समय के अनुसार संशोधन भी किये जाने चाहिएं। साथ ही मैं उन महिला सदस्याओं का भी तरफदार नहीं हूं? जो अपने को बिलकुल

अलग कर लेती हैं और कहती हैं कि सारा दोष पुरुषों का है। मैं उनसे कहूंगा कि किसी भी समाज में चलकर देखिये जहां तिलक और दहेज की प्रथा प्रचलित है, वहां आप पायेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का उस प्रथा के चालू रखने में दोष है। हम अपने यहां देखते हैं कि बाप एक दफा तिलक और दहेज मांगे या न मांगें, लेकिन लड़के की मां ज़रूर तिलक और दहेज चाहेगी। इसी तरह से लड़की की मां का भी सवाल है, अगर कोई उससे कहे कि वह अपनी लड़की गरीब घर में ब्याह दे तो वह हरगिज़ राजी न होगी, लड़की की मां चाहती है कि उसकी लड़की अमीर और बड़े घर में जाय, सुख चैन में रहे और मां तो चाहती है कि उसकी लड़की की शादी किसी बहुत बड़े नेता से हो? जैसा कि दिल्ली कनलि की महिला सदस्या ने कहा कि लोगों को ऐसी व्यवस्था चालू करनी चाहिए जिससे लड़की के मां बाप को रोना मत पड़े। मैं चाहूंगा कि वह ज़रूर इस चीज़ को चालू करें और ऐसी कोई हरकत न करें जिससे किसी भी लड़की के मां बाप को रोना पड़े।

मैं मानता हूं कि आज स्त्री जाति की अवस्था संतोषजनक नहीं है और मैं बहुत सी ऐसी बहुओं को जानता हूं जिनको उनकी सासें घर से निकाल चुकी हैं, उनको मारती पीटती हैं, और अपनी बहुओं को हर तरह से ज़लील करती हैं। यह सब केवल इसलिए किया जाता है कि बहू के घर से ज्यादा पुरस्कार और दहेज नहीं आता, इसलिए मैं चाहता हूं कि महिला सदस्यायें जितनी यहां पर हैं, वह इस बुराई का सेहरा ज्यादा से ज्यादा अपने सिर पर ओढ़ें, क्योंकि उनके रहते हुए यह ज्यादा बुराई होती है, और उलटे वे सभी दोष पुरुषों पर मढ़ती हैं।

Shri Tek Chand (Ambala-Simla): Is not the hon. Member unchivalrous?

Dr. Ram Subhag Singh: I think the hon. Mr. Tek Chand should learn a lesson in chivalry before asking "is not the hon. Member unchivalrous."

The Minister of Home Affairs and States (Dr. Katju): May I ask one question? What does the hon. Member mean by *vice versa*? There is the phrase *vice versa* in the Bill. What about that? Will you please express your opinion?

Shri A. M. Thomas (Ernakulam): We are not getting a chance.

डा० राम सुभग सिंह : He will explain that.

अब मैं इस बिल पर आता हूं और मैं चाहता हूं कि समाज में यह जो कुरीति फैली हुई है उसके लिए स्त्री, पुरुष दोनों प्रयत्न करें और समाज के हाथ मज़बूत करें और अगर समाज उनके रास्ते में बाधक हो तो वह समाज को भी छोड़ दें। वे इस बात का प्रण कर लें कि अपनी लड़की की शादी में दहेज ज्यादा नहीं देंगे। साथ ही लड़के के मां बाप को लड़के की शादी में दहेज नहीं मांगना चाहिए और अच्छे २ कपड़े और गहने नहीं मांगने चाहिएं।

हम लोगोंको विवाह प्रथा में एक पति और एक पत्नी का रिवाज बहुत अच्छा है यह आदर्श रिवाज है और इस पर चलकर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उस पर भी कुठाराघात करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रहती है, तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते।

[डा० राम सुभग सिंह]

आर्थिक असमानता को दूर करने के हेतु स्टेट ड्यूटी बिल लाया गया है। मैं मानता हूं कि किसी हद तक हम इसके द्वारा आर्थिक असमानता को दूर करने में सफल, होंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को चाहिए कि हम लोगों की जितनी सम्पत्ति है उसको नेशनलाइज़ कर ले, जब्त कर लें और सप्लाई और डिमांड के अनुसार अपना काम करे ताकि अस्ली रामराज यहां पर आ सके।

इस के साथ साथ कुछ लोगों ने और श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भी कहा कि इस कुप्रथा और असमानता के कारण बहुत सी लड़कियां कैम्पों में हैं जिनकी १८, २० और ३० वर्ष की उम्र हो गयी है और उनकी शादी नहीं हो पाई है, उनका कहना ठीक है, लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा है कि जिनकी ४० और ५० साल की उम्र हो गयी है, और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है।

मैं बहुत से दृष्टान्त दे सकता हूं जहां लड़कों की शादी ग़रीबी के कारण नहीं हो पाई, क्योंकि हर लड़की वाले की यही चेष्टा रहती है कि वह अपनी लड़की की शादी अच्छे और ऐसे लड़के से करे जिसके पास धन हो और जो किसी बड़े सेठ का लड़का हो। नतीजा यह होता है कि जो बेचारे ग़रीब घर के लड़के होते हैं वे बिना शादी के रह जाते हैं।

आज स्त्री पुरूष के नारे तो दिन रात लगाये जाते हैं लेकिन जब उनको कार्यरूप में परिणत करने का वक्त आता है, तो लोग पीछे हट जाते हैं,। जो लोग ऐसे नारे लगाते हैं वही पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी किसी किसान के लड़के के साथ करें, तो हम जानें। मैं आपको बतलाऊ कि हमारे एक दो नहीं, पूरे गांव के गांव ऐसे हैं जहां के लोगों की शादी नहीं हुइ है। आज समाज में पढ़े लिखे लोगों का बोल बाला है, वह समाज के ठेकेदार हो जाते हैं और अशिक्षित लोग बहुत दयनीय दशा में हैं, हमें सारी स्थिति पर ईमानदारी से सोचना होगा। केवल नारे मात्र लगाने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। केवल नारा लगाने मात्र से देश का नक्शा बदलने वाला नहीं है। नारे देने वाले कितने आये और कितने आते जायेंगे और जाते जायेंगे और हमारी स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम स्त्री पुरूष दोनों इस में न जुट जायें और पुरुष जो उनमें दोष हैं उनको निकालें और औरतों में जो दोष हैं, उनको औरतें निकालें, ऐसा जब हम दोनों करेंगे, तभी हम लोगों की स्थिति दुरुस्त होगी।

Mr. Chairman: Shri Muniswamy.

Dr. Katju: The time is over, Sir.

Mr. Chairman: We will sit five minutes more; five minutes out of the time allotted to private Members' business were taken on the Estate Duty Bill.

Shri Muniswamy (Tindivanum): I oppose those who oppose this Bill. I shall confine my remarks only to a few points.

I am surprised to see how some hon. Members of this House have quoted *Vedas* for opposing this Bill My hon. friend Mr. Nandlal Sharma has quoted the *Vedas*. (*Some Hon. Members*: No, no.) Sir, it is in the *Vedas*, and I may like to quote one thing: "If a *Sudra* reads the *Vedas*, you must melt iron and put it in his ears and mouth." Is he going to follow the *Veda* now? If this is followed.....

Shri Dhulekar: It is not written in the *Vedas*.

Shri Muniswamy: Then in the *Manu Smriti*. It was the *Manu Smriti* which was quoted often when the Estate Duty Bill was here discussed.

Mr. Chairman: The *Manu Smriti* is not the *Veda*.

Shri Muniswamy: It may not be the *Veda*, but *Manu Smriti* and all this come under that category. I may point out incidentally that you have got the *Vedas*, *Srutis* and the *Smritis*. The *Srutis* are those that are directly heard from God. All these things have been taken into consideration when the Hindu Code Bill was drafted. And I may quote the words of Justice Nelson. He said: "The Hindu Law was drafted by those English people who never knew Sanskrit, with the help of those Sanskrit Pandits who never knew English." It is in the book written by Justice Nelson *My Experiences in the Indian High Courts*. Therefore, I may quote it.

Why should they unnecessarily bring in all those *Vedas* and quote them to oppose a Bill which will place us also in the eyes of other countries as civilised persons. It is called *Vara Dakshina* in our place, in the South. It is more predominent among the Brahmin community and not among the non-Brahmins.

Shri Nambiar: Less.

Shri Muniswamy: It is now gradually spreading like the locust menace to all the other communities also. The words *Vara Dakshina* used to indicate something which was given as a gift to the bridegroom who comes to the house. It is given to the boy who is coming as the husband. But it is bringing down the dignity of the boy who comes as the husband to give something and call it by the name "dowry".

I support this Bill because in the eyes of the world we must also appear as a civilised country, and I am pained to see some of my friends opposing it without any meaning.

I do not understand one thing in the Bill which I wish to point out. There is a clause which says that those who pay dowry or who receive dowry should be imprisoned for three months. I oppose this. They may be fined. Suppose a father wants to see his son married, if soon after the marriage the fellow is put in jail. I think nobody will come forward to celebrate the marriage of his son.

Shrimati Renu Chakravartty: Send the wife also together.

Shri Nambiar: The wife also should be imprisoned, both together.

Shri Muniswamy: From this point of view I support the Bill and I find no meaning in opposing the Bill. I stop with this point.

Mr. Chairman: Is Mr. R. K. Chaudhury very anxious to speak? He may speak provided he finishes within the allotted time of five minutes.

Shri R. K. Chaudhury: I cannot finish.

Your decision, Sir, to allow the women Members of this House much greater latitude is certainly admirable.

Some Hon. Members: No, Sir.

Shri R. K. Chaudhury: I say admirable from a practical point of view. I have seen in my own domestic life that if you are found fault with, if you are taken to task, by some women members, if you allow them the fullest scope of talking, they will quieten down after some time and later on they will admit that they were in the wrong. I am hoping that if I live long, I will myself see a demonstration of this in this House.

Mr. Chairman: The hon. Member should speak on the Bill.

Shri R. K. Chaudhury: I was saying, Sir, I had welcomed your decision on this ground because it enables us to know the full case of the women Members so far as their support to this Bill was concerned, but I oppose it. I have the temerity to oppose it. Today I think that man is the boldest who does not fear his wife.

An Hon. Member: How many are there?

Shri R. K. Chaudhury: There are not many, of course.

I base this on three main grounds. First of all, I consider that it is unnecessary. It will defeat its own object, namely, that this Bill will not prevent the acceptance of dowry, but will rather prevent marriage for a long time.....

Shri Nand Lal Sharma: It will introduce black-marketing.

Shri R. K. Chaudhury: Certainly, it is likely to introduce black-marketing. I ask, Sir, of what utility will it be? Who is going to prove the contract? The Bill has been entirely misconceived. It will be difficult to punish or it will be futile to punish or it will be against the wishes of the members of the family concerned to see the man punished. It would be much better if it would be able to prevent the acceptance of dowry. Whenever it has come to the knowledge of the persons in authority that dowry is going to be paid in a particular marriage or that excessive dowry has been demanded by some party, then the law should be put in motion and that should be stopped. Because, after the marriage takes place, after the dowry is paid, it will be very difficult to prove a contract of this nature. What use it would be to have a legislation of this kind, I do not at all see.

I should like to say, Sir, that I am not taking it in a spirit of levity. I think, Sir, it will be injurious to society to have a legislation of this kind

An Hon. Member: Injurious?

Shri R. K. Chaudhury: Yes. You have education. Why don't you introduce courtship on a much larger scale than it is at present?

Sardar A. S. Saigal: Are you in favour of it?

Shri R. K. Chaudhury: Yes. I am in favour of courtship because that will save me payment of dowry. Have courtship. If you have courtship, go to the court for special marriage; finished; all expenditure and burden is saved. Why are you having this measure which will only alienate the feelings of the people? Those who are willing to pay, will pay.

Sir, there are other points which I have to make in support of my opposition.

Mr. Chairman: The hon. Member has finished his speech?

Shri R. K. Chaudhury: I want to continue, if you will allow me. This particular point of view has not been put before the House,

Shri Nand Lal Sharma: He will continue.

Mr. Chairman: The hon. Member may continue on the next day.

The House then adjourned till Four of the Clock.

The House reassembled at Four of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ESTATE DUTY BILL—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: Clause 62 was over. If any amendments have been tabled for clause 61, we can take them up later on. Let us now proceed to clause 63.

Clause 63.—(*Case to be heard by Benches of High Courts etc.*)

Shri N. L. Joshi (Indore): I beg to move:

(i) In page 31, line 6, *for* "two" *substitute* "three".

(ii) In page 31, *omit* lines 9 to 14.

By my first amendment, I seek to substitute "three" in the place of "two" and consequently, by my second amendment, I seek to delete the proviso to sub-clause (1). The reason is quite obvious. If there are three Judges, the